

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)  
सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000



सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 27 सितम्बर 2016  
समय : दोपहर 12.00 बजे  
स्थान : न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित  
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007  
दूरभाष: (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594  
E-mail:mfped.cg@nic.in \* E-mail:fed\_raipur@cgmfpfed.org \* Website:www.cgmfpfed.org

---

क्रमांक/वनो/संघ/सह./वार्षिक आमसभा/2016/9830

रायपुर दिनांक 12/09/2016

प्रति,

1. श्री भरत साय, प्राधिकारी एवं संघ प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर ।  
पता-मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.)
2. श्री बसंत सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि,  
पता-ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
3. श्री प्रीतम सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि,  
पता-ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
4. श्री अखिलेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
5. श्री रामसुन्दर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
6. श्री हीरा सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग.)
7. श्री मनोहर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
8. श्री सुन्दर सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)
9. श्रीमती बदन बाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)
10. श्री राजकुमार बिंझवार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम अंगारखार, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
11. कु. समीरा पैकरा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
12. श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि,  
पता- ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

13. **श्री हृदय राम राठिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
14. **श्री अमर सिंह नेताम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग.)
15. **श्री सोमनाथ सोम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)
16. **श्री मनोहर सिंह**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
17. **श्रीमती सुशीला बाई**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
18. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बालोद, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)
19. **श्री पंच राम धुर्वे**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)
20. **श्री दिनेश शाह मंडावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
21. **श्री मोतीराम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
22. **श्री असीम राय**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
23. **श्री टीकम टांडिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
24. **श्री पतिराम मण्डावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
25. **श्री भगत राम मरकाम**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
26. **श्री विश्राम सिंह**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग.)
27. **श्री महादेव देहारी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
28. **श्री कपूरचंद बिसाई**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि**,  
पता- ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग.)

29. **श्री मड़कम हड़मा**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम चिचोरगुडा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोंटा, जिला सुकमा (छ.ग.)
30. **श्री पारेट कन्हैया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर (छ.ग.)
31. **श्री फागूराम तेलामी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग.)
32. **प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर.
33. **सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
34. **सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर.
35. **सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर
36. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़**, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर.
37. **पंजीयक**, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन नया रायपुर.
38. **अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छत्तीसगढ़**, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर
39. **कार्यकारी संचालक**, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
40. **संचालक**, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
41. **प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, ए-25 व्ही.आई.पी. इस्टेट खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर.

**विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2016 की सूचना ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 27.09.2016 दिन मंगलवार को समय 12.00 बजे अपरान्ह न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाईन्स, रायपुर में आयोजित किया जावेगा । वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है :-

## कार्यसूची

विषय क्रमांक 1	सोलहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये कार्यों का विवरण ।
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट की स्वीकृति ।
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 6	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति विषयक ।
विषय क्रमांक 7	वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें ।  
वार्षिक साधारण सभा का विस्तृत एजेण्डा (पुस्तिका) पृथक से प्रेषित किया जावेगा ।

**सचिव**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

## विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
विषय क्रमांक 1	सोलहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-12
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये कार्यों का विवरण ।	13-29
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	30-32
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट की स्वीकृति ।	33-39
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	40-55
विषय क्रमांक 6	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति ।	56
विषय क्रमांक 7	वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन ।	57
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।		

## अध्यक्षीय उद्बोधन

### सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की सत्रहवीं आमसभा में उपस्थित सभी सम्माननीय संचालक मण्डल के सदस्यों एवं विशेष कर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ ।

सहकारिता के त्रि-स्तरीय ढाँचे में लघु वनोपज संघ 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है । छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है । लगभग 14 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब आदिवासी हैं । राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्हीं संग्राहकों के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु अग्रसर है ।

इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण दर रु. 1200/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रु. 1500/- प्रति मानक बोरा की गयी । यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संग्राहकों की मेहनत एवं वनोपज सहकारी समितियों के अथक प्रयासों से इस वर्ष तेन्दूपत्ते के समस्त लाटों का अग्रिम में निर्वर्तन रूपये 4695/- प्रति मानक बोरा के औसत विक्रय मूल्य पर हुआ । विगत वर्ष यह 2656/- रु. प्रति मानक बोरा था ।

वर्ष 2014 में संग्रहित तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय में से शासन निर्णय अनुसार 80 प्रतिशत राशि जो रूपये 72.68 करोड़ होती है, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को वितरित की गई है ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए प्रचलित जनश्री बीमा योजना के तहत संग्राहक को रु. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु/विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है । इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष आधी राशि की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छा:माही प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2015-16 में माह मार्च 2016 तक कुल 679 व्यक्तियों को रूपये 2.28 करोड़ की दावा राशि एवं वर्ष 2016-17 में माह मई 2016 तक रूपये 4.47 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

पूर्व के शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति हेतु कुल 91,437 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रूपये 10.97 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वितरित की जा चुकी है । वर्तमान में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल.आई.सी.आई.डी. प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की है, को पुरानी समूह बीमा योजना में रू. 3500/- से 25,000/- तक की राशि मृत्यु/पूर्ण विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना के तहत दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में राशि रूपये 6500/- का अतिरिक्त भुगतान संग्राहक परिवार के सदस्यों को किया जाता है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें लागू है।

वर्ष 2014 से विभिन्न वनोपजों के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गयी है। योजना में सालबीज, हर्षा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख तथा रंगीनी लाख का क्रय किया जा रहा है। संग्राहकों को उनके द्वारा लाई गई वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना में अब तक कुल रू. 81.57 करोड़ लघु वनोपज का क्रय कर संग्राहकों को भुगतान किया गया है। इस योजना के लागू होने से संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त लाभ की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से अन्य लघु वनोपज जैसे - बेल, आंवला, सतावर, कालमेघ, नागरमोथा व अन्य लघु वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष प्रबंधकों का मानदेय रू. 8,450/- से बढ़ाकर रू. 10,000/- किया गया है। साथ ही प्रबंधकों हेतु सेवा नियम भी लागू किये गये है। यही नहीं तेन्दूपत्ता कार्य हेतु फड़मुशियों को कमीशन में वृद्धि एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि की कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के स्थापना एवं प्रशासनिक मदों कार्यालय किराया, सुरक्षा, वार्षिक आमसभा एवं स्टेशनरी पर व्यय में भी वृद्धि की गयी है।

संघ द्वारा लघु वनोपज मुख्यतः इमली, आंवला, बेल, जामुन व अन्य औषधीय प्रजातियों के मूल्य वृद्धि एवं विपणन की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये गये है। विगत वर्ष संजीवनी एवं NWFDP मार्ट के माध्यम से रू. 1 करोड़ 31 लाख की लघु वनोपज के उत्पादों का विक्रय किया गया। इन्हें स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके सदस्य संग्राहक मुख्यतः होते है।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः सभी उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

**धन्यवाद ।**

## विषय क्रमांक - 1

**विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की सोलहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.09.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा वर्तमान में संचालक मण्डल का अवसान होने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई हैं तथा वर्तमान में संचालक मण्डल कार्यरत नहीं है इसलिये संघ की आयोजित सोलहवीं आमसभा की अध्यक्षता संघ की उपविधि क्रमांक 14(3) में रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाने के प्रावधानानुसार श्री आर.पी.मंडल, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर के अध्यक्षता में 16वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2015 दिन मंगलवार को समय दोपहर 3.00 बजे से संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रारंभ की गई ।

**आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-**

- |   |  |
|---|--|
| <b>01. श्री आर.पी.मंडल,</b><br>प्रमुख सचिव,<br>छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर   | <b>अध्यक्ष</b>                             |
| <b>02. श्री व्ही.श्रीनिवास राव,</b><br>मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, दुर्ग<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>खैरागढ़, बालोद, कवर्धा एवं राजनांदगांव                              | <b>प्राधिकृत<br/>अधिकारी एवं<br/>सदस्य</b> |
| <b>03. श्री बी.आनंद बाबू,</b><br>मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, बिलासपुर<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़,<br>कोरबा एवं कटघोरा | <b>प्राधिकृत<br/>अधिकारी एवं<br/>सदस्य</b> |
| <b>04. श्री एस.के.सिंह,</b><br>मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, सरगुजा<br>प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,<br>जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया               | <b>प्राधिकृत<br/>अधिकारी एवं<br/>सदस्य</b> |

05. श्री अरूण कुमार पाण्डेय,  
मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, रायपुर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
धमतरी, गरियाबंद, महासमुन्द, बलौदा-बाजार
- प्राधिकृत  
अधिकारी एवं  
सदस्य
06. श्री जे.ए.सी.एस. राव,  
मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, कांकेर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ  
कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, उत्तर कोण्डागांव, नारायणपुर,  
पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर
- प्राधिकृत  
अधिकारी एवं  
सदस्य
- 07 डॉ. ए.ए.बोआज  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  
छत्तीसगढ़
- विशेष आमंत्रित
08. श्री बी.एल सरन,  
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं प्रबंध संचालक,  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

सोलहवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, कार्यकारी संचालक-1, श्री कौशलेन्द्र कुमार कार्यकारी संचालक-2, श्री व्ही.एस.लकड़ा महाप्रबंधक-1 एवं श्रीमती संजीता गुप्ता महाप्रबंधक-2, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

**आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे :-**

01. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, जगदलपुर  
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,  
बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, बीजापुर
- प्राधिकृत  
अधिकारी एवं  
सदस्य

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा वार्षिक आमसभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के प्राधिकृत अधिकारी जो वर्तमान में संघ के सदस्य हैं, का हार्दिक स्वागत किया गया । तदुपरान्त आमसभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प	
1(क)	पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	सोलहवीं वार्षिक आमसभा द्वारा पन्द्रहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.09.2014 के प्रस्ताव क्रमांक 1 से 6 तक एवं 8 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
		<b>अतिरिक्त विषय क्रमांक 7</b> पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधकों को निर्देश दिये गये हैं कि मूलभूत की राशि से कलस्टर एप्रोच अनुसार शौचालय निर्माण की कार्यवाही की जाये एवं जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं या पूर्ण हो गये हैं, की जानकारी संघ में तत्काल दी जाये ।	<b>अतिरिक्त विषय क्रमांक-7</b> मूलभूत सुविधा विकास की अवशेष राशि से जिला यूनियनों के समिति क्षेत्रों में कलस्टर एप्रोच अपनाते हुए शौचालय बनाने हेतु विभिन्न पत्रों द्वारा समस्त जिला यूनियनों को निर्देशित किया जा चुका है । इस संबंध में प्राथमिक लघु वनोपज समितियां अपने संचालक मंडल के समक्ष प्रस्ताव रखकर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं ।
		<b>अतिरिक्त विषय क्रमांक-9</b> पर कार्यवाही हेतु शासन को पुनः पत्र भेजे जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।	(9) तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हेतु प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/सह/2015/7427 दिनांक 15.07.15 द्वारा प्रमुख सचिव छ.ग.शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया है । पुनः पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 18.11.2015 एवं क्रमांक 5382 दिनांक 10.05.2016 द्वारा जानकारी भेजी गई । छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति

			प्राप्त होने के उपरान्त नगद प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जावेगी ।
		<b>अतिरिक्त विषय क्रमांक-10</b> पर लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र, कांकेर के प्रस्तावित सेट-अप बाबत पर कार्यवाही हेतु शासन को पुनः पत्र भेजे जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।	(10) विभिन्न पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को पुनः लेख किया जा चुका है । स्वीकृति अपेक्षित है ।
		<b>अतिरिक्त विषय क्रमांक-11</b> पर अविक्लित तेन्दूपत्ते की ईकाईयों में बोरा भर्ती दर में वृद्धि हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधकों द्वारा मांग किया गया कि अविक्लित तेन्दूपत्ता लाटों में बोरा भर्ती हेतु उन्हें निर्धारित नार्मस से अधिक दर निर्धारण के लिए स्वतंत्रता दी जावे, ताकि स्थानीय आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जाकर सुगमतापूर्वक कार्य सम्पन्न कराया जा सके, अतः निर्णय लिया गया कि इसके लिये प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जावे ।	(11) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्या., रायपुर के पत्र क्रमांक/वनो/उत्पा/2016/2001 दिनांक 11.02.2016 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक एवं समस्त प्रबंध संचालक जिला यूनियन को तेन्दूपत्ता संग्रहण हेतु मानकीकरण व्यय निर्धारण कर भेजा गया है, जिसके बिन्दु क्र. 9 में अधिक व्यय हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजकर संघ से अनुमति लेकर व्यय हेतु लेख किया गया है साथ ही बोरा भरती व्यय राशि रु. 19 से बढ़ाकर राशि रु. 22 प्रति मानक बोरा कर दी गई है ।
		<b>अतिरिक्त विषय क्रमांक-12</b> नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक तथा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ हेतु प्रतिमाह 10 दिवस वाहन किराये पर लिये जाने हेतु राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तों पर उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव	(12) संघ के संचालक मण्डल की 65वीं बैठक दिनांक 20.08.2016 के निर्णय क्रमांक 65:15 में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक को आवश्यकतानुसार वाहन

		<p>भेजने हेतु निर्णय लिया गया। राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की जानकारी व राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा निर्धारित दरें एवं शर्तों की प्रति मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक वनवृत्त रायपुर द्वारा संघ को उपलब्ध कराई जावेगी।</p>	<p>किराये पर उपलब्ध कराने का निर्णय संचालक मण्डल में लिया गया।</p>
		<p><b>अतिरिक्त विषय क्रमांक-13</b> पर 5000 मिट्टिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण के संबंध में अध्यक्ष महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला यूनियन में वनोपज के भंडारण की आवश्यकता का आंकलन कर गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत एस्टीमेट, नक्शा व स्थल विवरण सहित शीघ्र संघ मुख्यालय में प्रस्तुत करें।</p>	<p>(13) जिला यूनियन राजनांदगांव, खैरागढ़, पश्चिम भानुप्रतापपुर, में बड़े गोदाम स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बीजापुर, पखांजूर, मानपुर, दोरनापाल एवं रामानुजगंज में 5 गोदाम रु. 30.00 लाख प्रत्येक की लागत के स्वीकृत किये गये हैं।</p>
1(ख)	<p>विशेष साधारण सभा दिनांक 31.03.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।</p>	<p>सोलहवीं वार्षिक आमसभा द्वारा विशेष साधारण सभा दिनांक 31.03.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।</p>	<p>कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।</p>
2	<p>वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गये कार्यों का विवरण।</p>	<p>वार्षिक आमसभा में प्रबंध संचालक, द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में संघ द्वारा किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर सहमति व्यक्त की गई एवं चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-</p>	
		<p>1) निर्णय लिया गया कि संघ के स्वीकृत पद संरचना के अनुसार सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रपाल एवं उप वनक्षेत्रपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों, कर्मचारियों की पदस्थिति बाबत शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुरोध किया जावे, ताकि संघ का</p>	<p>(1) निर्णय अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रपाल एवं उप वनक्षेत्रपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थिति करने बाबत लगातार अनुरोध किया गया है। वर्तमान में</p>

	कार्य प्रभावित न हो ।	सहायक वन संरक्षक के 38 स्वीकृत पद के विरुद्ध 15 पद भरे एवं 23 पद रिक्त है एवं उपवनक्षेत्रपाल के 180 स्वीकृत पद के विरुद्ध 132 पद भरे एवं 48 पद रिक्त है जबकि वनक्षेत्रपाल के स्वीकृत सभी 11 पद वर्तमान में रिक्त है ।
	2) निर्णय लिया गया कि तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं को मिले इस हेतु योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें एवं प्रगति नियमित रूप से जिला यूनियनों से प्राप्त की जाकर समीक्षा की जावे ।	(2) संघ में प्रचलित शिक्षा योजनाओं के निर्देश जारी कर संबंधित विभागों के साथ जन संपर्क विभाग को निर्देशों की प्रति दी जाकर प्रचार-प्रचार किया गया एवं समय-समय पर प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।
	3) निर्णय लिया गया कि कूल्हू, धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद के अवैध निकासी पर नियंत्रण रखे जाने एवं गोंद संग्रहण सीजन प्रारंभ होने के बाद अग्रिम क्रेता नियुक्त न किया जावें एवं गोन्द संग्रहण का पर्याप्त प्रचार प्रसार जैसे कि रेडियो, पाम्पलेट आदि के माध्यम से किया जावे ।	(3) इस संबंध में प्रयास किये जा रहे हैं ।
	4) निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अराष्ट्रीयकृत वनोपज एवं उनके उत्पादों के विक्रय हेतु माह नवम्बर में रायपुर में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जावे ।	(4) शीघ्र ही सम्मेलन आयोजित किया जावेगा ।
	5) निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्रीजी की अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ को लाख उत्पादन क्षेत्र में नम्बर-1 पर पुनः लाया जाना है, इसलिये प्रदेश में लाख पोषित वृक्ष (कुरुसुम, पलाश एवं बेर) का	(5) मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि में से रु. 98.00 करोड़ की राशि से लाख

		<p>चिन्हांकन एवं संख्याकन कर लाख पालन की विस्तृत योजना 2 माह के अन्दर बनायी जावे । इस हेतु प्रत्येक जिला यूनियन को रूपये 5.00 लाख शीघ्र उपलब्ध कराये जावें । यह राशि समितियों के पास उपलब्ध अराष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि से मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार उपलब्ध करायी जावे ।</p>	<p>पालन की एक सप्तवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है तथा प्रत्येक जिला यूनियन को लाख पोषक वृक्षों के संसाधन सर्वेक्षण तथा सामाजिक प्रोत्साहन के लिये राशि रु. 5.00 लाख उपलब्ध कराई जा चुकी है । वर्ष 2016-17 की अद्यतन स्थिति में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि में से रु. 7.36 करोड़ की राशि से लाख पालन की कुल 51 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 33983 कुसुम वृक्ष तथा 50750 पलास वृक्षों के माध्यम से 7663 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं ।</p>
		<p>6) वन एवं वनो के विकास कार्य की प्रगति पर निर्णय लिया गया कि जिन जिला यूनियनों में इस मद की राशि उपलब्ध है वहां तत्काल कार्य स्वीकृत कर इस राशि से पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावें ।</p>	<p>(6) अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं । शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।</p>
		<p>7) निर्णय लिया गया कि प्रदेश में शहद का उत्पादन बढ़ाने हेतु शहद संग्राहकों को प्राकृतिक शहद संग्रहण सम्बंधी प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं मधुमक्खी पालन सम्बंधी कार्य कराये जावे ।</p>	<p>(7) यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत जि.यू. मरवाही में 01 बैच शहद संग्राहकों (30 प्रशिक्षणार्थियों) का Centre of Science for villages, Duttapur, Wardha के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कराया गया है । उक्त प्रशिक्षण में कच्चे शहद के उत्पादन में वृद्धि हेतु विनाश विहीन विदोहन पद्धति से शहद संग्रहण एवं गुणवत्ता नियंत्रण</p>

			<p>विषय पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है तथा संग्राहकों को 02 सेट शहद संग्रहण टूल किट भी प्रदाय किया गया है । चिन्हांकित कुल 06 जिला यूनियनों जशपुर, कटघोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर, कवर्धा, मरवाही एवं धरमजयगढ़ में 300 हितग्राहियों का प्रशिक्षण माह अक्टूबर 2016 से कराया जाना प्रस्तावित है ।</p>
		<p>8) निर्णय लिया गया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद से प्राप्त 32.00 करोड़ की राशि से प्रदेश के 5 स्थलों पर विभिन्न वनोपज के प्रसंस्करण हेतु पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि पृथक-पृथक स्थलों पर वनोपज प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के बजाय प्रबंधन की दृष्टि से रायपुर के समीप एक वृहद समन्वित प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जावे । इस हेतु अन्य स्थलों पर इस कार्य हेतु उपलब्ध भूमि का उपयोग अन्य किसी कार्य जैसे गोदाम निर्माण आदि में किया जाये । इस हेतु केरल सरकार द्वारा संचालित “<b>औषधि</b>” योजना के अनुरूप रायपुर में वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया जावे ।</p>	<p>(8) इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियनों को निर्देशित किया गया है एवं इमली प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने एवं बाजार आंकलन करने हेतु संघ कार्यालय से दल को चेन्नई भी भेजा गया ।</p>

		<p>9) निर्णय लिया गया वनोपज डिफाल्टर क्रेताओं से बहुत बड़ी मात्रा में राशि वसूल करना शेष है, जिस पर वसूली अधिकारियों द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है, इसलिए विशेष अभियान चलाकर ऐसे क्रेताओं से वसूली की कार्यवाही की जाये। इस सम्बंध में यह भी निर्णय लिया गया कि तेन्दूपत्ते के क्रेता करारनामे की शर्तों में भी संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए क्रेता करारनामों की शर्तों का अध्ययन कर प्रस्तावित शर्तें तैयार करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की एक समिति गठित की जावे। उक्त समिति क्रेता करारनामा की शर्तों का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।</p> <p>1.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पा.) अध्यक्ष</p> <p>2.मुख्य वनसंरक्षक एवं कार्यकारी संचालक-1 वनोपज संघ, सदस्य</p> <p>3.मुख्य वनसंरक्षक एवं कार्यकारी संचालक-2 वनोपज संघ, सदस्य</p> <p>4.मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, दुर्ग वृत्त दुर्ग सदस्य</p> <p>5.वनमंडलाधिकारी, कटघोरा सदस्य</p> <p>6.वनमंडलाधिकारी, धमतरी सदस्य</p>	<p>(9) इस संबंध में निर्देशानुसार समिति का गठन कर कार्यवाही की जा रही है।</p>
		<p>10) निर्णय लिया गया कि प्रदेश की इमली की माँग देश के अन्य प्रदेशों एवं अन्य राष्ट्रों में है, इसलिये ईमली प्रसंस्करण पर संघ द्वारा विशेष प्रयास किये जावे।</p>	<p>(10) इमली प्रसंस्करण कार्य को बढ़ावा देने के लिए संघ द्वारा विशेष प्रयास किया गया। प्रयास का प्रतिवेदन “छत्तीसगढ़ राज्य में इमली प्रसंस्करण की संभावनाएं एवं लघु वनोपज संघ द्वारा इस ओर किये गये प्रयास” नाम से तैयार कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को</p>

			<p>कार्या. पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया । इसी तारतम्य में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार PPP Mode में प्रस्तावित प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं संचालन की संभावना तलाशने के संबंध में मु.व.स. जगदलपुर से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ।</p> <p>साथ ही साथ संघ के एक दल को इमली उत्पादों के राज्य से बाहर विपणन हेतु संभावनाओं की तलाश में दक्षिण भारत प्रवास में भी भेजा गया था ।</p>
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	प्रबंध संचालक, द्वारा संघ में वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण आमसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
4	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये आमसभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित बजट में कार्यालयीन व्यवस्था व्यय में अनुक्रमांक-13 पर अंकित विज्ञापन प्रचार/प्रसार मद में प्रस्तावित रु.60.00 लाख के स्थान पर रु.100.00 लाख, अनुक्रमांक-16 पर अंकित प्रशिक्षण व्यय मद में प्रस्तावित रु.10 लाख के स्थान पर रु.50.00 लाख, पूंजीगत व्यय में अनुक्रमांक-4 पर अंकित वाहन खरीदी मद हेतु प्रस्तावित रु.55.00 लाख के स्थान पर रु.100 लाख एवं अनुक्रमांक-5 में कार्यालयीन उपकरण एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रस्तावित रुपये 70.00 लाख के स्थान पर रुपये	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

		100.00 लाख की वृद्धि के साथ प्रस्तावित बजट प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया ।	
5	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	वित्तीय वर्ष 2014-15 के वित्तीय पत्रकों का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
6	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक नियुक्ति ।	निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ की वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं की सांविधिक अंकेक्षण कराने हेतु न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाले संपरीक्षक द्वारा सम्पादित पूर्व कार्य अनुभव की जानकारी प्राप्त कर प्रबंध संचालक, संघ सहमति होने पर न्यूनतम दर प्रस्तावितकर्ता संपरीक्षक से अंकेक्षण कराने अन्यथा अन्य संपरीक्षक से अंकेक्षण कराने हेतु प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ को अधिकृत किया गया ।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/लेखा/2016/177 दिनांक 18.05.2016 से मेसर्स खण्डेलवाल अशोक एण्ड कम्पनी, रायपुर को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया जाकर अंकेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ।
7	अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से अन्य विषय ।	<p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिये गये सुझावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-</p> <p>(1) निर्णय लिया गया कि तेंदूपत्ता के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से प्रदेश में तेन्दूपत्ता के पौधों की बूटा कटाई (prunning) में सुधार की आवश्यकता है । इस हेतु संघ द्वारा आवश्यक प्रयास किया जावे ।</p> <p>(2) निर्णय लिया गया कि वनमंडलों के कार्य आयोजनाओं में अकाष्टीय वनोपज के प्रबंधन से संबंधित एक अध्याय जोड़ा जावे ।</p>	<p>(1) इस संबंध में समस्त संबंधितों को निर्देशित किया गया गया एवं बुटा कटाई प्रशिक्षण एवं बुटा कटाई की दरों में वृद्धि की गई । सीजन 2016 में शाखकर्तन का कार्य में सुधार के फलस्वरूप तेन्दूपत्ता निर्वतन दर औसतन राशि रू. 4600 प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई है ।</p> <p>(2) राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 में वन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए महत्वपूर्ण अकाष्टीय वनोपज जैसे- गोंद, रेजिन, तेन्दूपत्ता, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, फल तथा बीजों के प्रबंधन के लिए</p>

			विशिष्ट रूप से अतिव्यापी कार्य वृत्त रखे जाने संबंधित अध्याय भारत शासन द्वारा जोड़ा जा चुका है ।
		(3) निर्णय लिया गया कि वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सम्बंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जावे, इस प्रशिक्षण हेतु आवश्यक राशि वनोपज संघ द्वारा उपलब्ध करायी जावे ।	(3) इस संबंध में वन विद्यालयों से संबंधित वन मण्डलाधिकारियों द्वारा पूर्व से ही कार्यवाही की जाती है एवं इस कार्यालय द्वारा राशि की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव उनसे मांगा गया है ।
		4) प्राथमिक समितियों के कई नोडल अधिकारियों के पास समिति की बहुत बड़ी अग्रिम की राशि वसूली हेतु शेष है, जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है । इसका मुख्य कारण ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/ स्थानांतरण के दौरान उनकी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) में वसूली हेतु शेष राशि का उल्लेख नहीं किया जाना है, इसलिये निर्णय लिया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों से अग्रिम की राशि विशेष अभियान चलाकर वसूल की जावे तथा सम्बंधित जिला यूनियन के खाते में जमा करायी जाये एवं भविष्य में कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा निवृत्ति/स्थानांतरण होने पर जिला यूनियन से भी अमांग, अजॉच प्रमाण पत्र (नो ड्यूज प्रमाण पत्र) अवश्य लिया जाये, ताकि देय राशि का उल्लेख LPC में हो सके ।	(4) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 12179 दिनांक 16.11.2015 एवं पत्र क्रमांक 8626 दिनांक 05.08.2016 से अग्रिमों की वसूली एवं अपलेखन की कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था । प्राप्त जानकारी अनुसार आज दिनांक तक रु. 21.24 लाख की वसूली की गई है । पत्र क्रमांक 12181 दिनांक 16.11.2015 एवं पत्र क्रमांक 4855 दिनांक 02.08.2016 से अधिकारी/ कर्मचारी के स्थानांतरण/ सेवानिवृत्ति के समय एल. पी.सी./अमांग, अजांच प्रमाण पत्र में शेष अग्रिम राशि का उल्लेख करने हेतु निर्देश दिये गये ।

अन्त में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई ।

## विषय क्रमांक - 2

**विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये गये कार्यों का विवरण ।**

**(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना -**

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में दिनांक 09.09.2016 की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है ।

**(ii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए प्रचलित जनश्री बीमा योजना के तहत संग्राहक को रू. 30,000/- से 75,000/- तक की राशि मृत्यु/विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है । इस योजना की प्रीमियम की आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष आधी राशि की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जाती है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9वीं से 12वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रुपये 600/- प्रति छःमाही प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2016-17 में माह मई 2016 तक रुपये 4.47 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति हेतु कुल 91,437 छात्र-छात्राओं को कुल राशि रुपये 10.97 करोड़ की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वितरित की जा चुकी है । शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल.आई.सी. आई.डी. प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जावेगी ।

संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की है, को पुरानी समूह बीमा योजना में रू. 3500/- से 25,000/- तक की राशि मृत्यु/विकलांगता की दशा में प्राप्त होती है । वर्ष 2016-17 में माह मई 2016 तक रुपये 3.4 लाख की दावा राशि का भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना के तहत दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में राशि रुपये 6500/- का अतिरिक्त भुगतान संग्राहक परिवार के सदस्यों को किया जाता है । वर्ष 2016-17 में माह मई 2016 तक रुपये 1.1 लाख की दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है ।

मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 जुलाई 2016 की स्थिति में 3245 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 80.69 लाख का भुगतान किया गया। व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 जुलाई 2016 की स्थिति में 296 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 24.35 लाख का भुगतान किया गया। गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 31 जुलाई 2016 की स्थिति में कुल 1079 छात्र/छात्राओं के कुल राशि रूपये 49.36 लाख का भुगतान किया गया। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 जुलाई 2016 की स्थिति में कक्षा 10वीं में कुल 562 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 84.3 लाख एवं कक्षा 12वीं में कुल 460 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 1.15 करोड़ का भुगतान किया गया।

### (iii) तेन्दूपत्ते का व्यापार -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, जिसमें से अग्रिम में विक्रित लाटों में 13.00 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 313.19 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2408/- प्रति मानक बोरा रहा अग्रिम में अविक्रित लाटों में 1.27 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। वर्ष 2014 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। पिछले आमसभा तक विभागीय संग्रहित 1.27 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता में से 1.26 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 21.43 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 1703/- प्रति मानक बोरा में किया गया था। पिछले आमसभा के बाद 1136.935 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 12.57 लाख तथा औसत विक्रय दर रु. 1106/- प्रति मानक बोरा में किया गया।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2015 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, जिसमें से अग्रिम में विक्रित लाटों में 12.63 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 336.31 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2663/- प्रति मानक बोरा रहा। अग्रिम में अविक्रित लाटों में 0.38 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। वर्ष 2015 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। पिछले आमसभा तक विभागीय संग्रहित 0.38 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता में से 11489.604 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 3.23 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2863/- प्रति मानक बोरा में किया गया था। पिछले आमसभा के बाद 26351.731 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 5.90 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2238/- प्रति मानक बोरा में किया गया।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2016 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों

की अधिसूचित मात्रा 16.64 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 781.09 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 4695/- प्रति मानक बोरा है। वर्ष 2016 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 1500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 950 लाटों में से 1 लाट में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 949 लाटों में 13.61 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 638.89 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 4693/- प्रति मानक बोरा रहा।

जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विवरण परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

**(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना** - संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस दृष्टि से शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश में परिशिष्ट 'ग-1' एवं परिशिष्ट 'ग-2' में दिये गये विवरण अनुसार 7 वनोपजों का क्रय किया जा रहा है। भारत सरकार से लघु वनोपज संघ को वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में रु. 153.66 करोड़ तथा राज्य सरकार से वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में रु. 34.44 करोड़ इस प्रकार कुल रु. 188.10 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उक्त योजना की जिला स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 25.07.2014 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **“राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति”** का गठन किया गया है।

योजना के अंतर्गत क्रय की जा रही लघु वनोपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रबंध संचालकों को समुचित निर्देश दिये गये हैं। वनोपज का संग्रहण निरंतर हो सके, इस हेतु विनाशविहीन विदोहन पद्धति से वनोपज के संग्रहण के बारे में संग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। उप प्रबंध संचालक एवं उप प्रबंधकों को बैठक में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। वृत्त स्तर पर प्रबंधकों की बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं, जिसमें लघु वनोपज की गुणवत्ता एवं विनाशविहीन विदोहन विषयों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। वनोपज का क्रय वास्तविक संग्राहकों/उत्पादकों से ही किया जावे एवं क्रय में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे इस बाबत भी निर्देश दिये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत वनोपजों की क्रय दरें सालबीज - रु. 10/-, हर्षा - रु. 11/-, महुआ बीज - रु. 22/-, इमली - रु. 22/-, चिरौंजी गुठली - रु. 100/-, कुसुमी लाख - रु. 320/- एवं रंगीनी लाख - रु. 230/- प्रति किलोग्राम है। लाख की क्रय दर वर्तमान बाजार मूल्य से काफी अधिक है। इसे युक्तियुक्त करने सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को लेख किया गया है।

योजना में अब तक कुल 394784 क्विंटल वनोपज का क्रय किया गया है एवं रु. 81.57 करोड़ का संग्राहकों को भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इस योजना के लागू होने से संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य भी बढ़ा है। इस योजना में लगभग रु. 23.05 करोड़ की हानि हुई है।

**(v) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार -**

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2016-17 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी हेतु संग्रहण दर का निर्धारण करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से अनुरोध किया गया है। प्रदेश की 5 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 210 क्विंटल के विक्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही की जा रही है।

**(vi) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) -**

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2016-17 हेतु धावड़ा, खैर/बबूल हेतु संग्रहण दर का निर्धारण करने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से अनुरोध किया गया है। संग्रहण वर्ष 2016-17 में कुल 21 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 420 क्विंटल के विक्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही की जा रही है।

**(vii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 72.67 करोड़ का संग्राहकों को वितरण लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

**(viii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य -**

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 1998 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रु. 93.98 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि रु. 80.58 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में संलग्न है जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

**(ix) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण -**

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है।

संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 का लेखांकन कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटराइजेशन शीघ्र शुरू किया जा रहा है।

#### (x) संघ विभाजन संबंधी विवाद -

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्वी मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

#### (xi) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है। उक्त मनी रसीदों का विवरण संघ मुख्यालय का प्रमाणक क्रमांक/दिनांक संघ की वेबसाइट में प्रत्येक दिवस प्रदर्शित होगी।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे क्रेताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातों में जमा कराई जा रही है।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्व वर्षों में संघ के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किये गये थे किन्तु जिला स्तर उक्त खातों से भुगतान में आ रही कठिनाईयों के कारण अब वर्तमान में जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब

नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी. फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शुन्य बैलेंस खातें खाले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन राशि आवश्यकतानुसार उक्त खातें से प्रतिदिन राशि रुपये 20.00 लाख तक के अधिकतम आहरण किया जा सकता है।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शुन्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा प्रतिदिन अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख का आहरण/भुगतान किया जा सकता है।

### **(xii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष की भौति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015-16 में 12.33 लाख जोड़ी चरणपादुका रुपये 142.00 प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की गयी है। जिला यूनियनवार वितरित चरणपादुकाओं की संख्या की जानकारी परिशिष्ट 'ड' में संलग्न है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से राशि रुपये 16.10 करोड़ प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2016-17 में शासन निर्णय अनुसार 12.50 लाख महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को एक जोड़ी चप्पल वितरण हेतु चप्पल क्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी। एक निविदाकार मेसर्स एकजो फुटवियर प्रा.लि. द्वारा उनकी निविदा में प्रस्तुत चप्पल के नमूने तकनीकी मापदण्ड के अनुरूप न होने से अमान्य किये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रं. 239/2016 दायर किया गया था। उक्त याचिका पर दिनांक 03.08.2016 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

### **(xiii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से बीमा कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की मृत्यु की दशा में उनके नामित को बीमित राशि उपलब्ध हो सके। प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2015-16 में 859 समिति प्रबंधकों का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत कराया गया था। वर्ष 2016-17 में 840 समिति प्रबंधकों का पुनः प्रबंधक समूह बीमा योजना का नवीनीकरण कराया गया है, जो दिनांक 18.03.2016 से 17.03.2017 तक मान्य रहेगा। प्रबंधक समूह बीमा योजना की मास्टर पॉलिसी नम्बर ई.जी.आई. 151281 है। वर्तमान में बीमित प्रबंधकों की मृत्यु होने पर उनके नामित द्वारा

क्लेम की राशि रूपये 25,000/- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संघ को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात संघ द्वारा नामित के खाते में जमा कराई जाती है ।

#### **(xiv) वनोपज सहकारी संस्थाओं का संचालक मण्डल -**

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया जा चुका है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में भी निर्वाचन कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर में वर्तमान में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(4)(8) के तहत श्री भरत साय प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ।

#### **(xv) अकाष्टीय वनोपज विकास**

##### **1. संसाधन संवर्धन - लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना**

वन क्षेत्रों में अकाष्टीय वनोपज के विकास हेतु “लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना” की जा रही है । इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्टीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य किये जाते हैं । सभी कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में अगस्त 2016 तक 2 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना 2000 हेक्टेयर में तथा पूर्व दो वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्र के 38000 हेक्टेयर में रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना के तहत 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों (1000 हे. क्षेत्र प्रति) की स्थापना मार्च 2017 तक की जानी है ।

##### **2. तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय**

शासन के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों की तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय-विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण एवं लाख पालन तथा प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है । इस हेतु रु. 142.78 करोड़ प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को जिला यूनियनों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं ।

### 3. लाख विकास

लाख विकास योजना के तहत लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की 83 परियोजनाओं के लिये जिला यूनियनों को रू. 19.09 करोड़ की राशि प्रदाय की गयी है तथा प्रदाय राशि के विरुद्ध रू. 17.64 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित राशि रू. 2.10 करोड़ के विरुद्ध राशि रू. 84.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिससे लाख पालन की स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कार्य संपादन हेतु राशि प्रदाय कर लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र, माकड़ी में लाख पालक कृषकों/मास्टर ट्रेनर्स के लिये प्रशिक्षण आयोजित की जावेगी। योजना अंतर्गत लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र द्वारा अब तक 302 लाख पालन मास्टर ट्रेनर्स एवं लाख पालक कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया जारी है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस की 26 परियोजनाएँ जिला यूनियनों में संचालित की जा रही है। इस परियोजना में लगभग 13214 हितग्राहियों को योजना से लाभ पहुँचाया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रू. 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2016-17 तक स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रू. 11.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध राशि रू. 9.70 करोड़ व्यय की गई है। शेष राशि का व्यय अवशेष कार्यों के संपादन में किया जाना प्रस्तावित है।

मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15 प्रतिशत राशि में से रू. 98.00 करोड़ लागत की एक सप्त वर्षीय लाख पालन परियोजना (2015-16 से 2021-22) अंतर्गत 25.00 लाख पोषक वृक्षों में 63675 हितग्राहियों द्वारा लाख पालन का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 में अब तक रू. 7.36 करोड़ लागत की कुल 51 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 7663 हितग्राही लाभांवित हो रहे हैं तथा यह प्रक्रिया जारी है। परियोजनांतर्गत प्रावधानित मास्टर ट्रेनर्स में से कुल 37 मास्टर ट्रेनर्स को IINRG रांची द्वारा लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

### 4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। इसकी कुल लागत 27.21 करोड़ है। योजना के क्रियान्वयन हेतु अभी तक कुल राशि रू. 24.70 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

परियोजना अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है :-

### **संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा -**

**संसाधन सर्वेक्षण** - परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लॉट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर “**छत्तीसगढ़ राज्य के वानस्पतिक प्रजातियों का संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन**” पुस्तिका का प्रकाशन कर वितरण किया गया है।

**हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा** - हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कुल 3399 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया। वैद्यों से प्राप्त जानकारीयों के आधार पर “**एक दृष्टि में छ.ग. राज्य की परम्परागत चिकित्सा पद्धति**” नाम से पुस्तिका के प्रकाशन किया जा चुका है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 48 वनोषधालय स्थापित किये गये हैं तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत कार्यरत वैद्यों का कौशल विकास भी किया गया है।

### **लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य -**

परियोजना अंतर्गत संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु स्वीकृत 74 माइक्रोइंटरप्राइजेस में कुल 1302 समूह के 17196 हितग्राही कार्यरत हैं। इसी प्रकार विपणन के 50 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्वीकृत हैं। कुल स्वीकृत माइक्रोइंटरप्राइजेस 124 हैं।

### **वनोषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण -**

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत स्थापित 06 वनोषधि निर्माण केन्द्रों में वनोषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है। इन केन्द्रों में 97 वनोषधि/हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों से शहद का संग्रहण कर 04 केन्द्रों में प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ माहुल पत्तों से 10 केन्द्रों में दोना-पत्तल बनाने का कार्य भी स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

### **विपणन -**

राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है, जहाँ से वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु “**छत्तीसगढ़ हर्बल्स**” ब्रांड

नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट में वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)
2015-16	111.35	131.11

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु विभिन्न जिलों में कुल 32 संजीवनी की स्थापना की गयी है। रायपुर NWFP मार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

### मूल्य संवर्धन के प्रयास -

डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के सुझाव अनुसार लघु वनोपज का विनाशविहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर पुस्तिका का प्रकाशन संघ द्वारा किया गया है। सी.एफ.टी. आर.आई., मैसूर के तकनीकी सहयोग से जगदलपुर (आसना) में इमली कैन्डी एवं बलौदाबाजार (बरौंदा) में हर्बल खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है।

### सूचना प्रबंधन प्रणाली -

संघ मुख्यालय, वन वृत्त, जिला यूनियन, NWFP मार्ट तथा शहद प्रसंस्करण केन्द्रों को कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो।

### क्षमता विकास -

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

इसी भांति प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, एकाउंटिंग प्रोसेस एवं एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ. पी. विषयों पर कार्यशाला/सेमीनार के माध्यम से आयोजित की गई है, जिसमें कुल

21380 हितग्राहियों, 5003 स्टॉफ एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (जुलाई 2016 की स्थिति में)

क्र.	घटक	आबंटित राशि (रु लाख में)	व्यय राशि (रु लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	419.66	313.74
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1404.69	1282.03
3	विपणन	381.95	364.60
4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	78.10
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	151.89	149.27
6	प्रमाणीकरण	51.40	42.35
7	क्षमता विकास	217.59	200.07
	<b>योग :-</b>	<b>2721.38</b>	<b>2430.16</b>

5. आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान -

भारत सरकार आदिवासी मामलों का मंत्रालय नई दिल्ली से संघ को अनुदान के रूप में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2015-16 तक राशि रु. 1691.00 लाख प्राप्त हुई है । उक्त राशि से वनोपज के भंडारण हेतु जिला यूनियन खैरागढ़, राजनांदगाँव एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर में बड़े गोदाम एवं जिला यूनियन राजनांदगाँव (मानपुर), बलरामपुर (रामानुजगंज), पश्चिम भानुप्रतापपुर (पखांजुर), बीजापुर (बीजापुर) एवं सुकमा (दोरनापाल) में मध्यम क्षमता के गोदाम निर्मित कराये जा रहे हैं ।

(xvi) समिति प्रबंधकों एवं फड़मुंशी के पारिश्रमिक में वृद्धि -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मानदेय प्रतिमाह रूपये 8,450/- से बढ़ाकर रूपये 10,000/- दिनांक 01.07.2016 से किया गया है ।

फड़मुंशी को देय कमीशन में वृद्धि एवं अन्य सुविधाये सायकल भत्ता एवं उनके लिए बीमा योजना लागू करने के लिए संघ के संचालक मंडल के अनुमोदन उपरान्त शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है । प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है एवं नव निर्वाचित प्राथमिक एवं जिला यूनियनों के अध्यक्ष हेतु प्रशिक्षण शिविर शीघ्र शुरू किये जाने की योजना है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत/भरे पदों की जानकारी  
दिनांक 19/09/2016

अ.क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.प्र.मु.व.सं.)	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
5	उप महाप्रबंधक (उप वन संरक्षक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	प्रबंधक लेखा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	0	2	6	3	3	30	11	19	38	14	24
11	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
16	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
18	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
19	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	132	48	180	129	51
20	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	आंतरिक अंकेक्षक	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
22	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
24	लेखा अधीक्षक	4	3	1	0	0	0	0	0	0	4	3	1
25	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
26	लेखापाल	4	5	-1	6	4	0	27	16	11	37	25	12
27	कनिष्ठ लेखापाल	7	5	2	0	0	0	21	13	8	28	20	8
28	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	7	0	6	6	0	31	27	4	44	40	4
29	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	14	7	6	7	-1	61	40	21	88	61	27
32	वाहन चालक	12	11	1	3	3	0	19	9	10	34	23	11
33	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
34	संदेशवाहक	17	10	7	12	9	3	48	31	17	77	50	27
35	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	32	5	37	33	4
36	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	<b>योग :-</b>	<b>109</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>464</b>	<b>311</b>	<b>153</b>	<b>612</b>	<b>421</b>	<b>191</b>

## जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	61300.000	38	55868.718	304510697.98	5450.47
सुकमा	48	88700.000	48	73644.834	275657334.52	3743.06
दंतेवाड़ा	13	26800.000	13	28048.701	97733342.66	3484.42
जगदलपुर	15	25600.000	15	19973.660	56386424.69	2823.04
दक्षिण कोंडागांव	11	22100.000	11	16406.710	57140419.45	3482.75
केशकाल	16	30700.000	16	21573.875	76075108.61	3526.26
नारायणपुर	12	22100.000	12	20305.570	68338662.37	3365.51
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	101400.000	56	79019.810	457396070.52	5788.37
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	83900.000	55	67902.045	289878481.85	4269.07
कांकेर	24	41600.000	24	29614.480	155157281.05	5239.24
राजनांदगांव	51	88700.000	51	69230.260	343820113.63	4966.33
खैरागढ़	24	44900.000	24	30835.070	126267040.02	4094.92
बालोद	18	28500.000	18	19071.745	92877544.89	4869.90
कवर्धा	24	41900.000	24	35072.530	151160215.05	4309.93
धमतरी	23	31600.000	23	21150.690	110502884.04	5224.55
गरियाबंद	62	90100.000	62	66360.750	384793632.35	5798.51
महासमुंद	69	100700.000	69	70464.385	358445979.57	5086.91
बलौदा बाजार	16	26500.000	16	21529.185	109760148.71	5098.20
बिलासपुर	21	31500.000	21	27265.260	126097062.46	4624.83
मरवाही	14	21500.000	14	14282.210	68412178.97	4790.03
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	7	7813.335	28308568.49	3623.11
रायगढ़	41	63800.000	41	52852.785	256252034.63	4848.41
धरमजयगढ़	53	83100.000	53	76784.310	428302498.59	5578.00
कोरबा	34	54100.000	34	48091.635	272575508.82	5667.84
कटघोरा	39	76900.000	39	58311.490	319948684.13	5486.89
जशपुर नगर	20	37200.000	20	27970.010	123756015.70	4424.60
मनेन्द्रगढ़	20	37500.000	20	34315.260	156629827.20	4564.44
कोरिया	16	30600.000	16	21684.325	102597565.27	4731.42
सरगुजा	15	33700.000	15	34340.095	151341455.83	4407.14
बलरामपुर	64	148200.000	64	139516.695	515770548.02	3696.84
सूरजपुर	30	78600.000	30	72107.120	322980552.26	4479.18
कुल योग	950	1663800.000	949	1361407.548	6388873882.33	4692.84

परिशिष्ट 'ग-1'

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत वर्षवार संग्रहित वनोपज की जानकारी

**वर्ष 2014-15**

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रु. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)
1.	सालबीज	125700.080	10.00	1257.00
2.	हर्रा	34188.509	11.00	376.07
3.	इमली	35445.650	22.00	779.80
	योग			2412.87

**वर्ष 2015-16**

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रु. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)
1.	सालबीज	111982.610	10.00	1119.83
2.	हर्रा	57088.730	11.00	627.98
3.	इमली	893.610	22.00	19.66
4.	चिरौंजी	6329.280	100.00	632.93
5.	महुआ बीज	4879.229	22.00	107.34
6.	कुसमी लाख	3266.315	320.00	1045.22
7.	रंगीनी लाख	1307.204	230.00	300.66
	योग			3853.62

**वर्ष 2016-17**

क्रमांक	वनोपज का नाम	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर प्रति किलोग्राम (रु. में)	संग्रहण के आधार पर संग्राहकों को भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)
1.	सालबीज	2807.580	10.00	28.08
2.	चिरौंजी	6902.483	100.00	690.25
3.	महुआ बीज	50.700	22.00	1.12
4.	कुसमी लाख	2879.109	320.00	921.31
5.	रंगीनी लाख	1087.606	230.00	250.15
	योग:-			1890.91
	महायोग:-	वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17		8157.40

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत क्रय/विक्रय एवं अनुमानित लाभ/हानि पत्रक

(मात्रा क्विंटल में, राशि रु. करोड़ में)

क्रमांक	लघु वनोपज का नाम	वर्ष	संग्रहित मात्रा	विक्रित मात्रा	सूखत / कमी की मात्रा	प्रसंस्करण हेतु मात्रा का उपयोग	कुल संग्रहित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead सहित)	विक्रित वनोपज का क्रय मूल्य (Overhead सहित)	कुल विक्रय मूल्य	लाभ/(हानि)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-9)	
1	सालबीज	2014	1,25,700.080	1,24,851.565	824.485	-	14.91	14.91	16.59	1.68	
		2015	1,11,982.610	1,11,982.610	-	-	13.28	13.28	5.86	(7.42)	
		2016	2,807.580	-	-	-	0.33	-	-	-	
2	हर्रा	2014-15	34,188.509	34,056.019	115.210	-	4.35	4.35	1.56	(2.79)	
		2015-16	57,088.730	-	-	-	7.26	-	-	-	
3	इमली	2014-15	35,445.650	35,445.650	-	-	8.99	8.99	8.64	(0.35)	
		2015-16	893.610	-	-	-	0.23	-	-	-	
4	कुसमी लाख	2015	3,266.315	3,095.365	7.790	-	10.95	10.40	2.01	(8.39)	
		2016	2,879.109	-	-	394.630	9.65	-	-	-	
5	रंगीनी लाख	2015	1,307.204	1,205.934	10.000	-	3.18	2.96	0.58	(2.38)	
		2016	1,087.636	-	-	110.030	2.65	-	-	-	
6	चिरौंजी गुठली	2015	6,329.280	4,913.680	5.500	-	6.64	5.16	1.77	(3.39)	
		2016	6,902.483	-	-	-	7.24	-	-	-	
7	महुआ बीज	2015	4,879.229	287.330	-	-	1.18	0.06	0.05	(0.01)	
		2016	50.700	-	-	-	0.12	-	-	-	
योग:-			3,94,808.725	3,15,838.153	962.985	504.660	90.96	60.11	37.06	(23.05)	
प्रतिशत % :-				80.00%	0.24%	0.16%				38.35%	
										कुल लाभ	1.68
										कुल हानि	(24.73)
										शुद्ध हानि	(23.05)

नोट - 1. लाभ/हानि की गणना विक्रित मात्रा एवं उस पर किये गये व्यय के आधार पर की गई है ।

2. व्यय की गणना मानकीकरण के आधार पर की गई है ।

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1998 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1998 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	सूरजपुर	356.09	333.32	22.77
2	बलरामपुर	111.19	110.70	0.49
3	मनेन्द्रगढ़	245.96	244.08	1.88
4	कोरिया	213.06	169.81	43.25
5	सरगुजा	145.40	108.92	36.48
6	जशपुरनगर	64.41	60.57	3.84
7	धर्मजयगढ़	594.42	552.50	41.92
8	रायगढ़	336.56	312.86	23.70
9	मरवाही	180.00	140.62	39.38
10	कटघोरा	643.45	633.21	10.24
11	कोरबा	510.42	507.48	2.94
12	I	5.49	3.04	2.45
13	बिलासपुर	44.37	40.70	3.67
14	महासमुन्द	657.58	574.15	83.43
15	बलौदाबाजार	242.89	166.81	76.08
16	धमतरी	318.30	255.36	62.94
17	गरियाबंद	877.00	836.00	41.00
18	कांकेर	334.91	185.29	149.62
19	उ. कोण्डागांव	132.20	92.92	39.28
20	द. कोण्डागांव	98.01	72.31	25.70
21	नारायणपुर	64.65	55.45	9.20
22	भानुप्रतापपुर	811.78	601.46	210.32
23	भानुप्रतापपुर	291.59	258.66	32.93
24	सुकमा	393.86	314.75	79.11
25	बीजापुर	433.18	325.79	107.39
26	जगदलपुर	71.93	70.40	1.53
27	दन्तेवाड़ा	100.20	91.23	8.97
28	बालोद	190.70	127.39	63.31
29	कवर्धा	168.15	164.58	3.57
30	राजनांदगांव	570.23	540.08	30.15
31	खैरागढ़	189.63	107.72	81.91
योग		9397.61	8058.15	1339.46

परिशिष्ट-‘इ’

वर्ष 2015 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार को  
चरणपादुका वितरण की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	वर्ष 2015 में वितरित चरणपादुकाओं की संख्या
1	2	3
1	कोरिया	25793
2	मनेन्द्रगढ़	26611
3	जशपुरनगर	47507
4	बलरामपुर	51020
5	सरगुजा	30938
6	सूरजपुर	101444
7	बिलासपुर	26938
8	मरवाही	24932
9	कटघोरा	65142
10	कोरबा	38260
11	जांजगीर-चांपा	10319
12	रायगढ़	59196
13	धरमजयगढ़	53709
14	बलौदाबाजार	27191
15	गरियाबंद	67354
16	धमतरी	30874
17	महासमुंद	105928
18	बालोद	29053
19	राजनांदगांव	55517
20	खैरागढ़	24616
21	कवर्धा	29851
22	कांकेर	38823
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	36440
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	36501
25	नारायणपुर	17344
26	दक्षिण कोण्डागांव	30560
27	केशकाल	29752
28	जगदलपुर	28377
29	दंतेवाड़ा	25471
30	बीजापुर	45617
31	सुकमा	12430
योग		1233508

### विषय क्रमांक - 3

**विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।**

**(i) बीमा योजनायें एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजनायें -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, के लिये जनश्री बीमा योजना तथा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाएँ वर्ष 2017-18 में भी लागू रहेगी ।

**(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -**

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में राशि रुपये 25,000/- का बीमा कराया जाता है ।

वर्ष 2016-17 में इस योजना के अंतर्गत 840 समिति प्रबंधकों का बीमा कराया गया है । वर्ष 2017-18 हेतु समिति प्रबंधकों को पुनः समूह बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा ।

**(iii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार -**

**तेन्दूपत्ता** - तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2016 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2017 में कुल 950 लाटों में लगभग 16.638 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी । तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रु. 249.57 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विक्रय के संबंध में पूर्व जारी व्यवस्थाएं प्रचलित रहेंगी ।

**गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) एवं गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) -**

संग्रहण वर्ष 2017-18 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) एवं गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।

**(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना** - योजना अंतर्गत प्रदेश में सालबीज, हर्षा, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख का संग्रहण कर विक्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

**(v) वर्ष 2015 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण** -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2015 में तेन्दूपत्ता का परिदान उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि जो लगभग रु. 80 करोड़ होती है, का वितरण शासन के अनुमोदन उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि के रूप में किया जावेगा ।

**(vi) तेन्दूपत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि से अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय एवं लाख विकास** -

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2008 से तेन्दूपत्ता व्यापार की विशुद्ध आय के 15 प्रतिशत की राशि सहकारी समितियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय-विक्रय, भण्डारण, प्रसंस्करण, उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन एवं लाख पालन हेतु उपलब्ध करायी जावेगी ।

**(vii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका/साड़ी का वितरण** -

शासन की स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं/साड़ी को क्रय कर वितरण की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार किया जावेगा ।

**(viii) यूरोपियन कमीशन परियोजना** -

यूरोपियन कमीशन परियोजना माह दिसम्बर 2016 में समाप्त हो रही है । अतः उक्त परियोजना अंतर्गत केवल अभिलेखन का कार्य किया जावेगा ।

**(ix) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान** -

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली से प्राप्त राशि रु. 2.32 करोड़ से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण कार्य कराया जावेगा ।

**(x) लाख विकास योजना** -

अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने लाख विकास योजना मद (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना) अंतर्गत वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित राशि रु. 3.33 करोड़ से लाख विकास संबंधी कार्य कराये जावेंगे ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत स्वीकृत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस के तहत वर्ष 2017-18 में परियोजना की शेष राशि रू. 3.74 करोड़ से अवशेष कार्य संपादित किया जाना है ।

**(xi) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना -**

वर्ष 2017-18 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा साथ ही विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा । वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रू. 270.00 लाख (प्रस्तावित) एवं संघ मद से रू. 409.30 लाख का प्रावधान लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए रखा गया है ।

**विषय क्रमांक - 4**

**विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये बजट की स्वीकृति ।**

वर्ष 2017-18 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

**अनुमानित व्यय**

**(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -**

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रुपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2017	16.638	लाख मा.बो.	2200.00 प्रति मा.बोरा	36603.600
2.	कुल्लू गोंद	2016-17	3.15	मी.टन (श्रेणी-I)	201780.00 प्रति मी.टन	10.489
			1.58	मी.टन (श्रेणी-II)	151780.00 प्रति मी.टन	
			1.58	मी.टन (श्रेणी-III)	109780.00 प्रति मी.टन	
		2017-18	7.35	मी.टन (श्रेणी-I)	201780.00 प्रति मी.टन	24.456
			3.68	मी.टन (श्रेणी-II)	151780.00 प्रति मी.टन	
			3.68	मी.टन (श्रेणी-III)	109780.00 प्रति मी.टन	
3.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2016-17	6.72	मी.टन (धावड़ा)	29800.00 प्रति मी.टन	3.837
			10.08	मी.टन (खैर/बबूल)	18200.00 प्रति मी.टन	
		2017-18	10.08	मी.टन (अग्रिम)	29800.00 प्रति मी.टन	7.612
			15.12	मी.टन (विभागीय)	30480.00 प्रति मी.टन	
<b>योग</b>						<b>36649.994</b>

**(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -**

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	232.00
2.	लाख विकास योजना	333.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	321.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2200.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	650.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8000.00
<b>योग</b>		<b>12110.00</b>

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रु. लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 31.07.16 तक का वास्तविक व्यय	
1.	वेतन एवं भत्ते	400.00	352.98	400.00	120.63	400.00
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	30.00	19.33	30.00	6.10	25.00
3.	यात्रा भत्ता	15.00	3.15	15.00	0.22	5.00
4.	अन्य भत्ते	11.00	11.07	11.00	2.87	15.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	50.00	42.75	50.00	14.30	50.00
6.	पेंशन अंशदान	20.00	36.24	40.00	9.05	40.00
7.	ग्रेज्युटी (उपादान)	50.00	6.02	50.00	0.00	50.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	50.00	54.72	50.00	0.00	60.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
10.	स्टेशनरी आदि क्रय					15.00
11.	किताब पत्रिका क्रय	65.00	7.63	15.00	2.84	35.00
12.	फोटोकापी एवं छपाई व्यय					15.00
13.	पोस्टेज					2.00
14.	टेलीफोन	10.00	4.45	10.00	0.87	5.00
15.	भवन किराया					15.00
16.	बिजली एवं पानी व्यय	20.00	18.48	20.00	5.74	10.00
17.	विज्ञापन एवं निविदा व्यय					50.00
18.	प्रचार-प्रसार	60.00	68.36	100.00	2.75	35.00
19.	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	5.00	0.47	5.00	0.23	30.00
20.	वाहन मरम्मत व्यय					15.00
21.	वाहन ईन्धन व्यय	20.00	15.37	20.00	4.95	15.00
22.	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय					10.00
23.	प्रशिक्षण	10.00	0.95	50.00	0.22	30.00
24.	फर्नीचर मरम्मत					20.00
25.	विविध व्यय	18.00	13.56	18.00	4.75	10.00
26.	अंकेक्षण शुल्क	75.00	0.30	45.00	0.00	25.00
27.	न्यायालयीन/विधिक व्यय	5.00	1.12	5.00	1.11	10.00
28.	घसारा (डेप्रिशियेसन)	250.00	144.06	250.00	0.00	200.00
29.	विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव					7.00
30.	कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत	10.00	0.11	10.00	1.93	7.00
<b>योग</b>		<b>1175.00</b>	<b>801.12</b>	<b>1195.00</b>	<b>178.56</b>	<b>1207.00</b>

(द) पूंजीगत व्यय (रु. लाख में)

अ.क्र.	संशोधित मद	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	दिनांक 31.07.16 तक का वास्तविक व्यय	
1.	भवन निर्माण एवं विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)	1500.00	553.89	1500.00	0.00	3500.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान					500.00
3.	अंशपूंजी क्रय					100.00
4.	वाहन क्रय	55.00	0.00	100.00	0.00	100.00
5.	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय					200.00
6.	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय (संघ ऑफिस का डिजिटलाइजेशन)	70.00	44.52	100.00	14.71	75.00
7.	कार्यालयीन उपकरण क्रय					50.00
8.	कर्मचारी कल्याण निधि	----	----	----	----	----
<b>योग</b>		<b>1636.00</b>	<b>598.41</b>	<b>1711.00</b>	<b>14.71</b>	<b>4525.00</b>

## अनुमानित आय

### (अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2017-18 में वनोपज की बिक्री से रू. 66933.565 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	66884.760
2.	कुल्लू गोंद	37.800
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद	11.005
	<b>योग</b>	<b>66933.565</b>

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	<b>तेन्दूपत्ता</b>	
1.	वर्ष 2017 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.638 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.638 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 4000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	59896.800
2.	वर्ष 2018 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.638 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 4200/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	6987.960
	<b>योग</b>	<b>66884.760</b>

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
<b>(ब)</b>	<b>कुल्लू गोंद</b>	
1.	वर्ष 2016-17 सीजन की वर्ष 2017-18 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 8.4 टन के रू. 180000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	15.120
2.	वर्ष 2017-18 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 21 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 200000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	22.680
	<b>योग</b>	<b>37.800</b>
<b>(स)</b>	<b>धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद</b>	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.001
2.	वर्ष 2016-17 सीजन की वर्ष 2017-18 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 16.8 टन के रू. 25000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	4.200
3.	वर्ष 2017-18 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 42.0 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 30000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	6.804
	<b>योग</b>	<b>11.005</b>
	<b>महायोग आय</b>	<b>66933.565</b>

**(ब) विविध आय -**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	2500.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	525.00
	<b>योग</b>	<b>3025.00</b>

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	232.00
2.	लाख विकास योजना	333.00
3.	पी.पी.ए. आदिवासी उपयोजना मद	321.00
4.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
5.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2200.00
6.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	650.00
7.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8000.00
<b>योग</b>		<b>12110.00</b>

### प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	15.120
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	4.201
<b>योग :-</b>		<b>19.321</b>

### अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	2.520
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	0.756
<b>योग</b>		<b>3.276</b>

## आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	66933.565
2.	विविध आय	3025.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	12110.000
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	3.276
	<b>महायोग</b>	<b>82071.841</b>

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	36649.994
2.	कार्यालयीन व्यय	1207.000
3.	पूंजीगत व्यय	4525.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	12110.000
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	19.321
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	27035.526
	<b>महायोग</b>	<b>81546.841</b>

## आधिक्य (लाख में)

कुल आय	<b>82071.841</b>
कुल व्यय	<b>81546.841</b>
संघ का शुद्ध लाभ	<b>525.000</b>

## विषय क्रमांक - 5

**विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं 901 प्राथमिक वनोपज समितियों से संबद्ध है । लघु वनोपज के व्यापार एवं संग्राहकों के विकास आदि कार्य हेतु जिला यूनियनों को राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय किया जा कर वर्षांत में समस्त आय-व्यय का लेखा प्राप्त कर संघ के वित्तीय पत्रकों को अंतिम दिया जा कर अंकेक्षण कराया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में समस्त 31 जिला यूनियनों से प्राप्त आय-व्यय पत्रक के आधार पर संघ के अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।



**C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR**  
**AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16**

**TENDU LEAVES**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>
<b>To Opening Stock</b>		<b>29,10,71,219.48</b>	<b>By Sales</b>		<b>3,73,09,33,851.50</b>
<i>Tendu Patta</i>			<i>Tendu Patta</i>		
<b>To Purchase</b>		<b>1,72,41,19,971.70</b>	<b>By Direct Incomes</b>		<b>5,82,26,608.79</b>
<i>Tendu Patta (Collection)</i>			<i>Interest &amp; Other Income</i>	<b>5,13,20,735.07</b>	
<b>To Direct Expenses</b>		<b>49,17,81,088.21</b>	<i>Mis. Income Through D.U.</i>	<b>69,05,873.72</b>	
<i>Rebate on T.P. Sale</i>	<b>2,36,51,987.81</b>		<b>By Closing Stock</b>		<b>7,56,49,713.67</b>
<i>Godown rent</i>	<b>1,43,750.00</b>		<i>Tendu Patta</i>		
<i>Godown Insurance Premium</i>	<b>2,12,751.00</b>				
<i>Stationary &amp; Printing (Tendupatta Trade)</i>	<b>1,73,900.00</b>				
<i>M.F.P. Insurance Premium</i>	<b>4,71,387.00</b>				
<i>MFP Pluckers Insurance Janshree Fed</i>	<b>2,20,75,325.00</b>				
<i>T.P. Collector's Group Insurance</i>	<b>5,43,15,000.00</b>				
<i>Establishment Expenses of Primary Societies</i>	<b>19,08,09,935.00</b>				
<i>Establishment &amp; Adminst. Exp of D.U.</i>	<b>19,97,68,048.40</b>				
<i>Society Manager's Group Insurance</i>	<b>1,59,004.00</b>				
<b>To People's Protected Area (Fed. Head) Tendupatta</b>		<b>3,12,13,408.00</b>			
<b>To Surplus</b>		<b>1,32,66,24,486.57</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>3,86,48,10,173.96</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3,86,48,10,173.96</b>

**SALSEED**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>
<b>To Opening Stock</b>		<b>80,12,045.60</b>			
<i>Sal Seed</i>					
<b>To Purchase</b>		<b>18,44,624.56</b>	<b>By Closing Stock</b>		<b>94,22,140.80</b>
<i>Salseed Collection (Purchase)</i>			<i>SalSeed</i>		
			<i>By Loss</i>		<b>4,34,529.36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98,56,670.16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>98,56,670.16</b>

**HARRA**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock <i>Harra</i>		33,86,467.01	By Sales <i>Harra Sale</i>		25,572.00
To Purchase <i>Harra Collection(Purchase)</i>		8,25,789.00	By Closing Stock <i>Harra</i>		35,11,181.26
To Direct Expenses <i>Rebate on Harra Sale</i>		512.00	By Loss		6,76,014.75
<b>TOTAL</b>		<b>42,12,768.01</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42,12,768.01</b>

**GUM**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock <i>Gum</i>		14,74,181.26	By Sales <i>Gum Sale</i>		4,84,933.00
To Purchase <i>Gum Collection (Purchase)</i>		2,56,250.00	By Direct Incomes <i>Interest &amp; Other Income</i>		1,931.00
			By Closing Stock <i>Gum</i>		6,78,681.26
			By Loss		5,64,886.00
<b>TOTAL</b>		<b>17,30,431.26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17,30,431.26</b>

**GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
Salseed Loss	4,34,529.36	Tendupatta Surplus	1,32,66,24,486.57
Gum Loss	5,64,886.00		
Harra Loss	6,76,014.75		
To Gross Surplus	1,32,49,49,056.46		
<b>TOTAL</b>	<b>1,32,66,24,486.57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,32,66,24,486.57</b>

Sd/-  
ASST. ACCOUNT OFFICERSd/-  
MANAGER (ACCTS.)Sd/-  
MANAGER (FINANCE)Sd/-  
EXECUTIVE DIRECTOR-1Sd/-  
MANAGING DIRECTORSd/-  
AUDITOR



**C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR**  
**M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16**

**SALSEED**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	9,48,14,924.04	By Sales	8,91,43,270.84
To Purchase	11,19,54,970.00	By Interest & Other Income	40,64,758.34
To Direct Over Head Expenses	1,16,46,769.10	By Closing Stock	13,09,59,245.78
To Service Charge Salseed	22,39,099.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	35,11,512.82		
<b>TOTAL</b>	<b>22,41,67,274.96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22,41,67,274.96</b>

**HARRA**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	1,90,76,310.92	By Sales	80,80,890.35
To Purchase	4,02,42,994.00	By Direct Incomes	11,636.00
To Direct Expenses	28,93,161.63	By Closing Stock	4,82,65,721.69
To Service Charge Harra	8,04,524.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	66,58,742.51
<b>TOTAL</b>	<b>6,30,16,990.55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,30,16,990.55</b>

**IMLI**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	0.00	By Sales	1,48,09,811.50
To Purchase	7,62,98,332.00	By Closing Stock	6,93,71,995.71
To Direct Expenses	64,86,813.45	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,29,305.24
To Service Charge IMLI	15,25,967.00		
<b>TOTAL</b>	<b>8,43,11,112.45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,43,11,112.45</b>

**MAHUA SEED**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	1,07,34,303.80	By Direct Incomes	0.00
To Direct Expenses	7,47,698.00	By Closing Stock	1,16,96,687.81
To Service Charge Salseed	2,14,686.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.01		
<b>TOTAL</b>	<b>1,16,96,687.81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,16,96,687.81</b>

**CHIRONJI**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	6,33,26,180.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Expenses	11,24,774.50	By Closing Stock	6,57,17,478.51
To Service Charge Salseed	12,66,524.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	0.01		
<b>TOTAL</b>	<b>6,57,17,478.51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,57,17,478.51</b>

**KUSUMI LAC**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	0.00	By Sales	25,66,208.00
To Purchase	10,65,91,371.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Expenses	8,36,204.32	By Closing Stock	9,62,27,352.34
To Service Charge Salseed	21,31,828.00	By Loss Transferred to Fund to meet loss	1,07,65,842.98
<b>TOTAL</b>	<b>10,95,59,403.32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10,95,59,403.32</b>

**RANGINI LAC**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Opening Stock	0.00	By Sales	6,28,722.00
To Purchase	3,20,66,574.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Expenses	3,48,371.57	By Closing Stock	2,97,75,067.04
To Service Charge Salseed	6,42,789.00	By Loss Transfered to Fund to meet loss	26,53,945.53
<b>TOTAL</b>	<b>3,30,57,734.57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,30,57,734.57</b>

**M.S.P. PROJECT INDIRECT INCOME / EXPENSES STATEMENT**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
To Bank Charges HO	405.98	By Interest Earned on FFD	9,54,35,128.00
To Rebate on Sale	1,40,596.20		
To Auction Charges	10,01,016.00		
To Bank Charges Distt Union	42,121.15		
To Other Expenses	5,004.00		
To Salseed Insurance Premium	70,387.00		
To Revolving Fund of MSP	9,41,75,597.67		
<b>TOTAL</b>	<b>9,54,35,128.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,54,35,128.00</b>

Note : 1- Chironji and Mahua Seed Trading Account appearing payable to MFP Gatherers or Loss in paisa i.e. due to round off calculation in Tally.

2- Expenses other than collection i.e indirect expenses are seperately shown in indirect income/expenses statement.

Sd/-  
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-  
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-  
MANAGER (FINANCE)

Sd/-  
EXECUTIVE DIRECTOR-1

Sd/-  
MANAGING DIRECTOR

Sd/-  
AUDITOR



## C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
<b>TO ESTABLISHMENT EXPENSES</b>	<b>5,12,12,620.23</b>	<b>BY GROSS SURPLUS B/F</b>	<b>1,32,49,49,056.46</b>
Salary & Wages	3,52,98,386.00	<b>BY INDIRECT INCOMES</b>	<b>43,01,99,796.55</b>
Children Education Allowance	54,000.00	Godown Rent Received	91,61,621.00
Compensatory Grant	1,00,000.00	Interest Earned on Group Gratuity A/c	31,32,657.29
Conveyance Exps.	58,516.00	Interest Earned on Group Leave Encashment Sch- A/c	23,40,819.14
Group Gratuity Expenses A/c	3,56,778.69	Miscellaneous Income From Projects	2,06,000.00
Group Leave Encashment Premium & Others A/c	1,54,152.54	Interest Earned on FDR	35,89,32,299.01
E.P.F. Administrative Charges	9,71,602.00	Interest Earned on FFD A/c	4,39,52,970.00
Medical Expenses	19,32,639.00	Interest Earned on Saving Bank	1,23,00,968.11
Travelling Expenses	3,14,874.00	Miscellaneous Income	10.00
Orderly Expenses	11,06,746.00	Interest Recd. From Other Source	65,370.00
E.P.F (Contribution)	42,74,776.00	Misc. Received Under Information Rights	3,505.00
Pension Contribution	36,23,864.00	House Rent Licence Fees [Fed.]	79,102.00
Vehicle Expenses	14,55,090.00	Vehicle Charges Recovered	24,475.00
Vehicle Insurance Charge	82,147.00		
House office Rent to owner	14,29,049.00		
<b>TO MANAGERIAL EXPENSES</b>	<b>1,01,61,864.01</b>	<b>BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)</b>	<b>6,02,40,190.15</b>
Training Expenses	95,224.00		
AGM & BOD Meeting Expense	47,495.00		
Telephone Charges (New)	4,26,298.85		
Stationery & Printing	7,52,887.00		
Books & Periodicals	10,425.00		
Computer Exp	10,800.00		
Postage & Telegram	18,829.00		
Electricity & Water Supply	4,18,940.00		
Advertisement Exp A/c	68,35,970.00		
Meeting Expenses	55,397.00		
Miscellaneous Expenses	13,55,516.00		

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
<i>Vidhik Fees/litigation</i>	1,12,450.00		
<i>Bank Charges</i>	20,107.16		
<i>Consumable Store</i>	1,525.00		
<b>TO DIST.UNION COMMISSION</b>	31.00		<b>31.00</b>
<b>TO DEPERICIATION CHARGES</b>	1,44,06,647.00		<b>1,44,06,647.00</b>
<b>TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION</b>	500.00		<b>500.00</b>
<b>TO AUDIT FEES</b>	1,29,478.00		<b>1,29,478.00</b>
<b>TO CO-OPERATIVE ELECTION EXPENSES</b>	1,00,000.00		<b>1,00,000.00</b>
<b>TO PAYABLE TO SOCIETY</b>			<b>1,67,91,37,711.77</b>
<i>TO INCENTIVE WAGES</i>	1,34,33,10,169.00		
<i>TO SALE PURCHASE &amp; PROCESSING OF NON-NATIONALIZED MFP</i>	25,18,70,657.00		
<i>TO REVOLVING FUND</i>	8,39,56,885.77		
<b>TO COMMISSION TO FEDERATION</b>			<b>1.00</b>
<b>TO SURPLUS CARRY FORWARD TO FEDERATION P/L</b>			<b>6,02,40,190.15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,81,53,89,043.16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,81,53,89,043.16</b>

Sd/-  
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-  
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-  
MANAGER (FINANCE)

Sd/-  
EXECUTIVE DIRECTOR-1

Sd/-  
MANAGING DIRECTOR

Sd/-  
AUDITOR



**C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR**  
**FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16**

<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>AMOUNT</b>
<b>TO NET PROFIT TRANSFERED TO BALANCE SHEET</b>	<b>6,02,40,191.15</b>	<b>BY SURPLUS B/F FROM AGENCY P/L ACCOUNT</b>	<b>6,02,40,190.15</b>
		<b>BY Agency Commission B/F from Agency P/L Ac</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,02,40,191.15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,02,40,191.15</b>

Sd/-  
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-  
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-  
MANAGER (FINANCE)

Sd/-  
EXECUTIVE DIRECTOR-1

Sd/-  
MANAGING DIRECTOR

Sd/-  
AUDITOR



## C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

### BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2016

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
<b>1000000000.00</b>	<b>AUTHORISED SHARE CAPITAL</b>		<b>1000000000.00</b>				
	<b>PAID UP SHARE CAPITAL</b>		<b>18,96,87,392.14</b>		<b>FIXED ASSETS</b>		<b>48,72,85,334.59</b>
<b>4,37,22,122.14</b>	<i>State Government</i>	<b>4,37,22,122.14</b>		<b>33,48,92,484.78</b>	<i>Godown &amp; Building</i>	<b>33,75,25,084.78</b>	
<b>32,000.00</b>	<i>District Union</i>	<b>32,000.00</b>		<b>3,74,14,677.00</b>	<i>Land (Naya Raipur)</i>	<b>3,74,14,677.00</b>	
<b>10,18,64,348.40</b>	<i>State Government through NCDC (Old)</i>	<b>10,18,64,348.40</b>		<b>1,39,31,862.67</b>	<i>Vehicle (Assets)</i>	<b>1,39,37,304.67</b>	
<b>54,47,622.40</b>	<i>Social Justice &amp; Empowerment</i>	<b>54,47,622.40</b>		<b>3,95,42,638.14</b>	<i>Furniture and Dead Stock</i>	<b>4,39,94,328.14</b>	
<b>64,38,099.20</b>	<i>Tribal &amp; Minority Welfare</i>	<b>64,38,099.20</b>		<b>16,56,970.00</b>	<i>Office Building (Work in Progress )</i>	<b>5,44,13,940.00</b>	
<b>3,21,83,200.00</b>	<i>NCDC Godowns from C.G. Govt.</i>	<b>3,21,83,200.00</b>			<b>INVESTMENT</b>		<b>1,75,000.00</b>
	<b>FUNDS &amp; RESERVES</b>		<b>80,28,64,481.89</b>	<b>1,75,000.00</b>	<i>Purchase of Share</i>	<b>1,75,000.00</b>	
<b>27,30,89,025.34</b>	<i>General Reserves &amp; Funds</i>	<b>33,33,29,215.49</b>			<b>LIC (Group Gratuity)</b>		<b>3,83,88,920.73</b>
<b>5,23,53,214.45</b>	<i>Reserve Funds</i>	<b>5,23,53,214.45</b>		<b>2,15,20,362.09</b>	<i>Group Gratuity Contribution Fund</i>	<b>2,16,95,580.40</b>	
<b>25,18,28,612.53</b>	<i>Depreciation Funds</i>	<b>26,62,35,259.53</b>		<b>1,35,60,683.04</b>	<i>Interest Accrued From Group Gratuity Fund</i>	<b>1,66,93,340.33</b>	
<b>1,60,20,916.95</b>	<i>Inventory Loss Funds</i>	<b>1,60,20,916.95</b>			<b>LIC (Group Leave Encashment Fund)</b>		<b>3,25,51,697.54</b>
<b>1,46,73,046.47</b>	<i>Co-operative Training &amp; Publicity funds</i>	<b>1,46,73,046.47</b>		<b>1,88,07,805.16</b>	<i>Group Leave E. Contribution Fund</i>	<b>2,41,25,917.62</b>	
<b>3,03,53,176.78</b>	<i>Share Capital Redemption Funds</i>	<b>3,03,53,176.78</b>		<b>60,84,960.78</b>	<i>Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund</i>	<b>84,25,779.92</b>	
<b>44,66,724.64</b>	<i>Co-op. Movement &amp; Development Funds</i>	<b>44,66,724.64</b>			<b>LOANS &amp; ADVANCES</b>		<b>1,23,17,37,081.23</b>
<b>28,78,404.96</b>	<i>Bad &amp; Doubtful Debts Funds</i>	<b>28,78,404.96</b>		<b>26,36,021.60</b>	<i>Nagrik Apurti Nigam</i>	<b>26,36,021.60</b>	
<b>4,50,70,384.00</b>	<i>Subsidy for Godowns From NCDC</i>	<b>4,50,70,384.00</b>		<b>5,83,728.00</b>	<i>Advance To Staff</i>	<b>5,34,098.00</b>	
<b>2,96,38,621.23</b>	<i>Building Fund</i>	<b>2,96,38,621.23</b>		<b>1,165.00</b>	<i>Advance To Others</i>	<b>0.00</b>	
<b>78,45,517.39</b>	<i>Vehicle Fund</i>	<b>78,45,517.39</b>		<b>1,25,000.00</b>	<i>Director Forest School Jagdalpur</i>	<b>0.00</b>	
	<b>LOANS</b>		<b>96,04,417.00</b>	<b>1,14,292.00</b>	<i>D.F.O.MIS Division Raipur</i>	<b>1,14,292.00</b>	
<b>46,42,860.00</b>	<i>Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)</i>	<b>46,42,860.00</b>		<b>0.00</b>	<i>DFO Raipur</i>	<b>2,00,000.00</b>	
<b>49,36,657.00</b>	<i>Godown Loan From Central Govt.(MP Bhopal)</i>	<b>49,36,657.00</b>		<b>53,225.00</b>	<i>Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea</i>	<b>53,225.00</b>	
<b>24,900.00</b>	<i>Godown Loan From N.C.D.C</i>	<b>24,900.00</b>		<b>137.00</b>	<i>CGCERT</i>	<b>137.00</b>	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	<b>DEVELOPMENTAL PROJECTS</b>		<b>76,42,11,465.35</b>	<b>5,96,536.80</b>	<i>Vaniki &amp; Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)</i>	<b>2,55,11,690.80</b>	
<b>5,16,15,281.00</b>	<i>41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)</i>	<b>4,20,69,622.00</b>		<b>1,50,00,00,000.00</b>	<i>Advance to State Government</i>	<b>1,20,00,00,000.00</b>	
<b>7,98,94,533.64</b>	<i>41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing</i>	<b>7,22,57,193.23</b>		<b>0.00</b>	<i>Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce</i>	<b>22,24,714.83</b>	
<b>12,45,34,589.48</b>	<i>European Commission Project [10-2406-6725]</i>	<b>9,92,86,263.48</b>		<b>176.10</b>	<i>Bills Payable</i>	<b>0.00</b>	
<b>1,74,58,437.00</b>	<i>10-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)</i>	<b>2,25,00,000.00</b>		<b>0.00</b>	<i>M.S.P Account</i>	<b>4,62,902.00</b>	
<b>3,10,64,421.00</b>	<i>41-2406-6792 MFP Pluckers Gr. Ins. (Janshree)</i>	<b>28,58,824.00</b>					
<b>35,60,824.00</b>	<i>Bastar Vikas Pradhikaran</i>	<b>25,95,538.00</b>			<b>GUNNY BAGS &amp; HASSIAN BARDANA</b>		<b>1,39,70,976.78</b>
<b>26,33,831.00</b>	<i>Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran</i>	<b>15,76,608.00</b>		<b>1,38,45,629.00</b>	<i>Gunny Bags &amp; Tarpoline(Bhopal)</i>	<b>1,38,45,629.00</b>	
<b>59,85,077.70</b>	<i>UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project</i>	<b>45,55,974.70</b>		<b>1,25,347.78</b>	<i>Hassion Bardana (Bhopal)</i>	<b>1,25,347.78</b>	
<b>5,54,33,715.00</b>	<i>41-2406 Lac Development Project 6854</i>	<b>4,04,42,867.00</b>			<b>DUTIES &amp; TAXES</b>		<b>77,15,07,898.43</b>
<b>40,88,51,109.04</b>	<i>Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)</i>	<b>41,09,70,321.04</b>		<b>6,98,876.21</b>	<i>Central Sales Tax</i>	<b>6,87,452.42</b>	
<b>6,11,11,239.00</b>	<i>Lac Cultivation Project (SGSY)</i>	<b>3,91,75,975.00</b>		<b>6,70,332.50</b>	<i>Income Tax (TCS)</i>	<b>18,31,390.75</b>	
<b>4,71,371.30</b>	<i>Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India</i>	<b>4,71,371.30</b>		<b>76,40,458.96</b>	<i>VAT Receivable (2008-09)</i>	<b>76,40,458.96</b>	
<b>51,37,604.50</b>	<i>NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPB)</i>	<b>49,80,954.50</b>		<b>3,99,86,222.70</b>	<i>VAT</i>	<b>58,85,55,104.91</b>	
<b>1,30,110.50</b>	<i>Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran</i>	<b>1,29,631.50</b>		<b>13,43,55,451.39</b>	<i>TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE</i>	<b>17,27,93,491.39</b>	
<b>759.00</b>	<i>International Development Research Center</i>	<b>0.00</b>			<b>INTEREST RECEIVABLE</b>	<b>11,43,51,405.00</b>	<b>11,43,51,405.00</b>
<b>2,02,29,959.00</b>	<i>State Govt. Project for Processing Centre-5231</i>	<b>1,87,76,030.00</b>			<b>REPAYABLE RECOVERIES</b>	<b>1,57,633.00</b>	<b>1,57,633.00</b>
<b>21,76,900.60</b>	<i>Campa Cold Storage Buildings A/c</i>	<b>15,64,291.60</b>		<b>1,03,310.00</b>	<b>SERVICE CHARGES RECEIVABLE FROM MSP PROJECT</b>	<b>28,79,409.76</b>	<b>28,79,409.76</b>
	<b>OTHERS PAYABLE &amp; PROVISIONS</b>		<b>17,49,53,835.44</b>		<b>CLOSING STOCK</b>		<b>8,92,61,716.99</b>
<b>75,34,525.79</b>	<i>Provision For Unadjusted Exp PPA</i>	<b>75,34,525.79</b>		<b>14,74,181.26</b>	<i>Gum</i>	<b>6,78,681.26</b>	
<b>16,33,32,488.76</b>	<i>Provision for People's Protected area(Federation Head)</i>	<b>14,97,10,617.76</b>		<b>33,86,467.01</b>	<i>Harra</i>	<b>35,11,181.26</b>	
<b>1,35,94,647.04</b>	<i>Provision for Audit Fees</i>	<b>1,23,09,867.04</b>		<b>29,10,71,219.48</b>	<i>Tendu Patta</i>	<b>7,56,49,713.67</b>	
<b>84,62,587.50</b>	<i>Salseed Bonus Payable</i>	<b>28,41,742.95</b>		<b>80,12,045.60</b>	<i>Sal Seed</i>	<b>94,22,140.80</b>	
<b>6,56,272.00</b>	<i>Group Gratuity Payable Ac</i>	<b>6,56,272.00</b>					
<b>1,43,969.00</b>	<i>Group Leave Encachment Payable A/c</i>	<b>1,43,969.00</b>					
<b>0.00</b>	<i>Bills Payable</i>	<b>10,46,500.90</b>					
<b>2,34,282.00</b>	<i>G.S.L.I. Payment A/c</i>	<b>4,41,728.00</b>					
<b>93,612.00</b>	<i>LCSA on Gratuity from LIC A/c</i>	<b>2,68,612.00</b>					

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	<b>DUTIES &amp; TAXES</b>		<b>1,63,24,457.83</b>		<b>F.D.R./C.D.R./S.D.R.</b>		<b>7,16,29,88,382.00</b>
<b>1,60,14,566.01</b>	<i>Forest Development Cess</i>	<b>1,59,45,863.05</b>		<b>1,26,00,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (Allahabad Bank)</i>	<b>0.00</b>	
<b>59,754.00</b>	<i>Commercial Tax</i>	<b>59,754.00</b>		<b>61,93,24,957.00</b>	<i>FDR A/c (Apex Bank) [Fed. Capital]</i>	<b>67,44,47,382.00</b>	
<b>3,18,840.78</b>	<i>Entry Tax on Sale</i>	<b>3,18,840.78</b>		<b>13,70,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (Axis Bank)</i>	<b>0.00</b>	
				<b>1,33,00,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (Bank of Baroda)</i>	<b>0.00</b>	
	<b>SUNDRY CREDITORS</b>		<b>64,13,02,918.63</b>	<b>87,00,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (Chhattisgarh Rajya Gramin Bank)</i>	<b>2,61,50,00,000.00</b>	
<b>9,068.00</b>	<i>F.R.L.H.T.</i>	<b>9,068.00</b>		<b>0.00</b>	<i>FDR A/c (Development Credit Bank)</i>	<b>50,00,00,000.00</b>	
<b>5,95,03,057.38</b>	<i>Tendu Patta Purchasers</i>	<b>5,63,97,264.38</b>		<b>18,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (ICICI Bank)</i>	<b>1,50,00,000.00</b>	
<b>1,83,53,426.01</b>	<i>Sal Seed Purchasers</i>	<b>2,93,200.16</b>		<b>0.00</b>	<i>FDR A/c (South Indian Bank)</i>	<b>1,50,00,00,000.00</b>	
<b>14,17,609.05</b>	<i>Harra Purchasers</i>	<b>14,17,609.05</b>		<b>3,01,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (State Bank of India)</i>	<b>16,32,00,000.00</b>	
<b>3,70,524.72</b>	<i>Gum Purchasers</i>	<b>3,70,524.72</b>		<b>12,00,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (UCO Bank)</i>	<b>0.00</b>	
<b>1,92,30,675.20</b>	<i>Security Deposit other than M.F.P.</i>	<b>3,36,18,427.20</b>		<b>17,50,000.00</b>	<i>Flexible Fixed Deposit (B.O.B)</i>	<b>15,75,000.00</b>	
<b>59,090.00</b>	<i>TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.</i>	<b>59,090.00</b>		<b>0.00</b>	<i>Flexible Fixed Deposit (SBI-5823)</i>	<b>66,000.00</b>	
<b>2,40,562.00</b>	<i>Tirumalla Tirupati Dev Sthanam , Tirupati</i>	<b>2,40,562.00</b>		<b>1,10,75,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (Apex Bank)</i>	<b>1,44,00,00,000.00</b>	
<b>4,239.93</b>	<i>Charanpaduka Purchase A/c</i>	<b>1.53</b>		<b>45,00,00,000.00</b>	<i>FDR A/c (Central Bank)</i>	<b>0.00</b>	
<b>22,10,880.00</b>	<i>M.S.P Account</i>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<i>FDR A/c (P.N.B.)</i>	<b>25,37,00,000.00</b>	
<b>8,19,34,702.94</b>	<i>District Union Advance</i>	<b>49,83,85,364.03</b>					
<b>0.00</b>	<i>AXIS Bank (S) 910010017380589</i>	<b>4,74,70,614.40</b>			<b>BANK ACCOUNTS</b>		<b>20,60,89,079.52</b>
<b>0.00</b>	<i>P.N.B. M Br. 191933 (S)</i>	<b>30,41,193.16</b>			<b>CURRENT</b>		
				<b>1,428.98</b>	<i>ICICI BANK A/c No. 016105006260</i>	<b>13,75,527.18</b>	
	<b>PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)</b>		<b>6,80,62,66,570.49</b>	<b>15,14,16,896.42</b>	<i>P.N.B. A/c No. 0399005900000058 (C)</i>	<b>30,10,965.77</b>	
<b>3,90,25,32,953.57</b>	<i>Incentive Wages to Pluckers C.G.</i>	<b>3,74,70,89,610.09</b>		<b>30,26,437.20</b>	<i>State Bank of India 0753 (C)</i>	<b>3,79,003.08</b>	
<b>1,36,70,972.92</b>	<i>Mulbhoot/Development of Forest and forest Produce</i>	<b>0.00</b>		<b>8,30,317.31</b>	<i>State Bank of India 30735345823 (C)</i>	<b>7,63,687.31</b>	
<b>1,11,96,24,672.21</b>	<i>Revolving Fund</i>	<b>1,20,35,74,807.98</b>		<b>43,702.63</b>	<i>State Bank of India A/c No.30781054157</i>	<b>26,236.63</b>	
<b>1,67,11,04,281.42</b>	<i>Sale purchase processing of Non-nationalised MFP</i>	<b>1,85,56,02,152.42</b>		<b>500.00</b>	<i>Apex Bank 1149 (C)</i>	<b>500.00</b>	
				<b>12,748.00</b>	<i>Bank of Baroda A/c No.05100200000482 (C)</i>	<b>84,356.00</b>	
	<b>M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL</b>		<b>73,45,05,969.87</b>	<b>25,63,482.75</b>	<i>S.B. Indore 53015395443 (C)</i>	<b>20,89,774.75</b>	
<b>5,99,86,647.28</b>	<i>M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)</i>	<b>5,99,86,647.28</b>		<b>6,182.61</b>	<i>Dena Bank 018811001093 (C)</i>	<b>1,74,304.61</b>	
<b>41,02,60,025.99</b>	<i>BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2</i>	<b>41,02,60,025.99</b>					
<b>26,42,59,296.60</b>	<i>M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/C -3</i>	<b>26,42,59,296.60</b>			<b>SAVING</b>		
				<b>63,148.01</b>	<i>Apex Bank 10275 (S)</i>	<b>0.00</b>	
<b>1,95,16,723.94</b>	<b>SUSPENSE A/C</b>	<b>1,94,46,222.94</b>	<b>1,94,46,222.94</b>	<b>1,64,77,650.68</b>	<i>Axis Bank 44794 (S)</i>	<b>13,74,51,650.68</b>	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
				12,132.00	Axis Bank A/c No.913010014688171	8,21,744.00	
				13,16,235.60	AXIS Bank (S) 910010017380589	0.00	
				8,30,012.00	IDBI Bank (S) A/c No. 49104000371506	0.00	
				3,73,84,371.09	P.N.B. 3358 (S)	4,52,569.11	
				16,13,548.90	P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa)	17,12,702.92	
				60,23,038.06	P.N.B. M.Br.A/c No.399000101192414 (S)	5,00,54,190.56	
98,90,97,010.25	MSP Project related Liabilities (Annexure B)	1,98,56,14,115.91	1,98,56,14,115.91	79,66,805.42	State Bank of India A/c No.31144628102 (S)	51,22,805.17	
	FEDERATION PROFIT & LOSS A/C		16.00	18,48,719.51	State Bank of India A/c No.32084656047	24,46,251.75	
15.00	A. Profit of Fed. (in Previous year )	15.00		2,32,448.73	S.B. Indore 63011882888 (S)	1,22,810.00	
	B. Profit of Current Year	6,02,40,191.15		89,12,03,157.99	P.N.B. M Br. 191933 (S)	0.00	
	Total	6,02,40,206.15		1,38,562.46	Indus Ind Bank A/c No-543609	0.00	
	Less: Transferred to General Reserve Fund	6,02,40,190.15		98,90,97,010.25	MSP Project related Assets (Annexure B)	1,98,56,14,115.91	1,98,56,14,115.91
					CASH/DD/CHEQUE-IN-HAND		78,23,212.01
				41,73,770.00	FDR In Hand	78,23,210.00	
				2.01	Cash	2.01	
10,64,16,31,195.93	GRAND TOTAL		12,14,47,81,863.49	10,64,16,31,195.93	GRAND TOTAL		12,14,47,81,863.49

- Note :-**
- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.
  - 2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed separately in Balance sheet as liability in **Annexure "A"**
  - 3- Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998,1999,2000 is not incorporated in corresponding ledgers.
  - 4- Separate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transferred to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transferred to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transferred to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown separately in **Annexure "B"**

Sd/-  
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-  
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-  
MANAGER (FINANCE)

Sd/-  
EXECUTIVE DIRECTOR-1

Sd/-  
MANAGING DIRECTOR

Sd/-  
AUDITOR



**C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR**

**Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2016**

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTPF Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
36,84,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers(Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	PROFIT TO SOCITIES (REORGANISATION) (70:15:15)	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	ADVANCE FROM DISTT. UNION (BHOPAL)	33,03,50,213.89			
64,000.00	CASH IN TRANSIT	64,000.00			
91,29,29,440.39	<b>GRAND TOTAL</b>	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	<b>GRAND TOTAL</b>	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28 Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 5,99,86,647.28

Sd/-  
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-  
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-  
MANAGER (FINANCE)

Sd/-  
EXECUTIVE DIRECTOR-1

Sd/-  
MANAGING DIRECTOR

Sd/-  
AUDITOR



PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
6,57,81,192.13	<b>Loans and Advances</b>		6,57,81,192.13		16,38,02,967.54
	District Union Advance	8,51,38,291.54			
	Tax Deducted at Source (Bank)	1,23,75,914.00			
	Receivable from Tendupatta A/C				
	Interest Receivable	6,62,88,762.00			
	<b>0.00 Deposits</b>				1,31,01,45,817.00
	FDR (BOB)	1,31,01,45,817.00			
	<b>Bank Account</b>				3,93,30,214.34
			80,93,55,329.49		
				PNB A/c No. 000067	3,93,30,214.34
<b>98,90,97,010.25</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,98,56,14,115.91</b>	<b>98,90,97,010.25</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,98,56,14,115.91</b>



*S. Veni*  
MANAGING DIRECTOR

*Uma*  
EXECUTIVE DIRECTOR-1

*[Signature]*  
MANAGER (FINANCE)

*[Signature]*  
MANAGER (ACCTS.)

*[Signature]*  
Asst. Account Officer

## विषय क्रमांक - 6

**विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति ।**

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक आमसभा में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी है ।

अंकेक्षण कार्य हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाए छ.ग. द्वारा सूचीकृत (Empanelled) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की गई थी, जिसमें कुल 4 आवेदक फर्मों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उक्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों को संघ के अंकेक्षण कार्य हेतु निर्धारित मापदण्डों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की आयु, भागीदारों की संख्या, फर्म की प्राप्तियाँ (आय) एवं फर्म द्वारा रुपये 300/- करोड़ से अधिक विक्रय मूल्य/प्राप्ति वाले सरकारी/सहकारी संस्थाओं के संविधिक संपरीक्षा संपादित करने का अनुभव) के परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता फर्म मुकुंद शिवा एण्ड एसोसिएट्स, रायपुर को रू. 1,49,100/- में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक नियुक्त किया जाना है ।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकेक्षण हेतु मुकुंद शिवा एण्ड एसोसिएट्स रायपुर को अंकेक्षक हेतु नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव संघ के वार्षिक आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

## विषय क्रमांक - 7

**विषय :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंकेक्षण टीप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से पारित होकर प्राप्त होने उपरांत शुद्ध लाभ का विभाजन ।**

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2008-09 का अंकेक्षण टीप पारित कर प्रस्तुत किया गया है, 2008-09 के वित्तीय पत्रकों को संघ की 10वीं आमसभा मार्च 2010 में अनुमोदन कराया जा चुका है । अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण संबंधी प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रेषित किया जा चुका है ।

पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में वनोपज संघ को वर्ष 2008-09 में राशि 2,94,87,559.00 रुपये का शुद्ध लाभ प्रदर्शित हो रहा है ।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ 2,94,87,559.00 का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है । अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.5%	98,78,332.27
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	58,97,511.80
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	29,48,755.90
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	8,84,626.77
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	29,48,755.90
6	भवन फंड	17%	50,12,885.03
7	वाहन फंड	4.5%	13,26,940.16
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	5,89,751.17
<b>योग :-</b>		<b>100%</b>	<b>2,94,87,559.00</b>

वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव संचालक मंडल के अनुमोदन पश्चात् आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित  
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1.	श्री प्रदीप पंत (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री राजेश गोवर्धन (भा.व.से.)	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री बी.पी. नोन्हारे (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक-2	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री कौशलेन्द्र कुमार (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक-1	मुख्य वन संरक्षक
5.	श्री व्ही.एस.लकड़ा (भा.व.से.)	महाप्रबंधक	वन संरक्षक
6.	श्री यू.बी.एस. राठिया	सचिव	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
7.	श्री सी.एल.ठाकुर	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
8.	श्री सुबीर कुमार दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)
9.	श्री विवेक राय	प्रबंधक (लेखा)	प्रबंधक (लेखा)
10.	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ आफिसर
11.	श्री डी.के. श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी

**जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधियों की सूची**

क्र.	जिला यूनियन का नाम	नाम	पद	पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
					कार्यालय	निवास
1	जशपुर	श्री राम स्वरूप यादव	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट खैरापाठ, तहसील बगीचा, जिला जशपुर	07763 223148	94061 27395
		श्री भरत साय	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर	07763 223148	96441 61631
2	कोरिया	श्रीमती सावित्री पाण्डेय	अध्यक्ष	ग्राम मुड़ीझरिया, पो. पतरापाली, रूपवर्षा जनरल स्टोर मेन रोड बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	07836 232227	94077 87719
		श्री बसंत सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	07836 232227	91658 73366
3	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती संतोषी बाई	अध्यक्ष	ग्राम गरुणडोल, पो. घुटरा, जिला कोरिया	07771 243865	96440 15718
		श्री प्रीतम सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया	07771 241743	89593 13973
4	सरगुजा	श्रीमती शांति	अध्यक्ष	कलेक्टर बंगला के पास, अम्बिकापुर	07774 241600	97546 59528
		श्री अखिलेश	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर, जिला सरगुजा	07774 241600	94252 54200
5	बलरामपुर	श्रीमती मनपतिया	अध्यक्ष	ग्राम बगाड़ी, पो. राजपुर, जिला बलरामपुर	07831 273095	76970 53116
		श्री रामसुन्दर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट रघुनाथ नगर, जिला बलरामपुर	07831 273095	96177 98182
6	सूरजपुर	श्री सिंगाचंद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम मायापुर, पो.-वि.ख. प्रतापपुर, जिला सूरजपुर	07775 266890	90091 63555
		श्री हीरा सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर	07775 266890	77708 79192
7	बिलासपुर	श्री मनोहर सिंह राज	अध्यक्ष एवं संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट छतौना, ढाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर	07752 413765	97706 63771
8	कोरबा	श्री टीकेश्वर सिंह राठिया	अध्यक्ष	मु.पो. कुदमुरा, ढाया भैसमा, तहसील कोरबा, जिला कोरबा	07759 228791	88895 83311
		श्री सुन्दर सिंह राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट गितकुवारी, ढाया पसरखेत, तहसील व जिला कोरबा	07759 228791	9174749810 8224994566
9	कटघोरा	श्री शिवभजन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम लाद, पो.कोरबी, तह.पोड़ी, उपरोड़ा, जिला कोरबा	07815 250018	91658 44862
		श्रीमती बदन बाई	संघ प्रतिनिधि	ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा	07815 250018	99771 99056

10	जांजगीर-चांपा	श्री जगेश्वर सिंह राज	अध्यक्ष	ग्राम देवरमाल, पोस्ट देवरी, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा	07819 244622	93295 08924
		श्री राजकुमार बिंझवार	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कण्डरा, पोस्ट खैजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा	07819 244622	88897 27919
11	मरवाही	श्री मोहन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम कोटखर्वा, पो. धनपुरी, व्हाया. मरवाही, तह. मरवाही जिला बिलासपुर	07751 220080	-
		कु.समीरा पैकरा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया-खोडरी जिला- बिलासपुर	07751 220080	99773 55711
12	रायगढ़	श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार	अध्यक्ष एवं संघ प्रतिनिधि	मुकाम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़	99817 14703	96919 11313
13	धरमजयगढ़	श्री रामचरण राठिया	अध्यक्ष	मु. फुटहामुडा, पो. लारीपानी, तह. लैलुंगा, जिला रायगढ़	07766 266729	75873 77800
		श्री हृदय राम राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कुरी, पोस्ट राजपुर तहसील लैलुंगा, जिला रायगढ़	07766 266729	99264 79280
14	बलौदा-बाजार	श्रीमती गंगोत्री बाई	अध्यक्ष	ग्राम टेंगनाकछार, पो. धनसीर वि.ख. बिलाईगढ़, जिला बलौदा-बाजार भाटापारा	07727 223581	99079 26793
		श्री अमर सिंह नेताम	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हाया पिथौरा, विकासखण्ड कसडोल, जिला बलौदा-बाजार	07727 223581	99269 49147
15	धमतरी	श्री अकबर कश्यप	अध्यक्ष	ग्राम बिरगुड़ी, जिला धमतरी	07722 238371	97532 12965
		श्री सोमनाथ सोम	संघ प्रतिनिधि	ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी	07722 238371	89640 88342
16	महासमुन्द	श्री विनोद चन्द्राकर	अध्यक्ष	ग्राम कोना, वि.ख. तह. महासमुन्द जिला महासमुन्द	07723 222084	99779 11119
		श्री मनोहर सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द	07723 222084	81203 85011
17	गरियाबंद	श्री भगीरथी मांझी	अध्यक्ष	ग्राम केन्दूपाली, तहसील देवभोग, जिला गरियाबंद	07706 241407	78282 59997
		श्रीमती सुशीला बाई	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुड़ागांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद	07706 241407	99810 91806
18	बालोद	श्री यज्ञदत्त शर्मा	अध्यक्ष एवं संघ प्रतिनिधि	ग्राम आमपारा, बालोद तहसील बालोद जिला बालोद	07749 223901	94255 61062
19	कवर्धा	श्री सुदर्शन साहू	अध्यक्ष	ग्राम पो. खैरबना, वि.ख. बोड़ला, जिला कबीरधाम	07741 232328	9424130730 8889598680
		श्री पंच राम धुर्वे	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम	07741 232328	97559 03383
20	राजनांदगांव	श्री धरमू राम भूआर्य	अध्यक्ष	ग्राम कोंदाबोड़ी, पो. नेड़गांव, तह. मानपुर, जिला राजनांदगांव	07744 224802	94241 05984
		श्री दिनेश शाह मंडावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव	07744 224802	94062 71319

21	खैरागढ़	श्री मोतीराम उइके	अध्यक्ष एवं संघ प्रतिनिधि	ग्राम खम्पुरा, पोस्ट बोरतलाब, तह. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	07820 234822	73891 45053
22	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री सोमारू राम कोरेटी	अध्यक्ष	ग्राम पो. माचपल्ली, तह पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850 252367	94062 83725
		श्री असीम राय	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पी0व्ही0 036 पोस्ट हरनगढ़ तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850 252367	94252 00966
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री रघुनाथ कुमेटी	अध्यक्ष	ग्राम तहकाल पो. अंतागढ़ तहसील अंतागढ़ जिला कांकेर	07850 252815	94242 96058
		श्री टीकम टांडिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर	07850 252815	94790 16345
24	केशकाल	श्री झारीराम सलाम	अध्यक्ष	ग्राम मैनुपुर, पो. चिंगनार, थाना बेनूर, ब्लाक तहसील फरसगांव, जिला कोण्डागांव	07848 259334	94792 52941
		श्री पतिराम मण्डावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोण्डागांव	07848 259334	94079 79262
25	दक्षिण कोण्डागांव	श्री रामचंद्र कश्यप	अध्यक्ष	ग्राम बड़ेकुरुसनार पोस्ट मटवाल तहसील एवं जिला कोण्डागांव	07786 243402	75870 25020
		श्री भगत राम मरकाम	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट केरावाही, तह माकड़ी, जिला कोण्डागांव	07786 243402	81209 29259
26	कांकेर	श्री नितिन पोटाई	अध्यक्ष	ग्राम सिलतरा, पो मारकाटोला, तहसील व जिला कांकेर	07868 222171	94242 89026
		श्री विश्राम सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम माण्डरादरहा, पो. जामगांव, तह. नरहरपुर, जिला कांकेर	07868 222171	-
27	नारायणपुर	श्री मैनु राम कुमेटी	अध्यक्ष	ग्राम माहका, पो. बिंजली, तहसील व जिला नारायणपुर	07781 252253	94063 37717
		श्री महादेव देहारी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर	07781 252253	94076 17021
28	जगदलपुर	श्रीमती प्रिया मुचाकी	अध्यक्ष	ग्राम परलमेरा पो. एवं तह. बास्तानार, जिला बस्तर	07782 222006	75877 59682
		श्री कपूरचंद्र बिसाई	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पोस्ट बकावण्ड, वि.ख. बकावण्ड, जिला बस्तर	07782 222006	89597 58103
29	सुकमा	श्री कवासी हांदा	अध्यक्ष	ग्राम भोपावाड़ा, तह. छिंदगढ़, पो. उरमापाल जिला सुकमा	07864 284300	94061 07263
		श्री मड़कम हड़मा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम चिचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कौटा, जिला सुकमा	07864 284300	75874 67404
30	बीजापुर	श्री पवन कुड़ियम	अध्यक्ष	ग्राम सकनापल्ली, पो. गुदमा, जिला बीजापुर	07853 220267	94079 32840
		श्री पारेट कन्हैया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पेगड़ापल्ली, पोस्ट दूधेड़ा, तहसील भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर	07853 220267	75877 72060
31	दन्तेवाड़ा	श्री जग्गूराम अटामी	अध्यक्ष	ग्राम कासोली, पोस्ट हीरानार तह. गीदम, जिला दन्तेवाड़ा	07856 252228	70490 37757
		श्री फागूराम तेलामी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर	07856 252228	74402 44061